# परिशिष्ट

## परिशिष्ट-1.1.1

**(संदर्भ पैराग्राफ: 1.4; पृष्ठ: 3)**

**वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य बजट से बाहर कार्यक्रमों/ योजनाओं के तहत विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण**

**(₹ लाख में)**

| क्रम सं. | भारत सरकार की योजना का नाम | राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां | भारत सरकार द्वारा निर्मोचन |
|---|---|---|---|
| | | | 2017-18 |
| 1. | सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) | जिला उपायुक्त | 4,500.00 |
| 2. | बौद्ध और तिब्बती संस्थान और स्मारक | बौद्ध अध्ययन संस्थान | 2,315.58 |
| 3. | आईएचएमएस/ एफसीआईएस/ आईआईटीटीएम/ एनआईडब्ल्यूएस आदि की सहायता। | संस्थान और होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी | 358.30 |
| 4. | सौर ऊर्जा-ऑफ ग्रिड | लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी | 90.33 |
| 5. | शराब और पदार्थ (ड्रग्स) दुरुपयोग की रोकथाम के लिए योजना। | विधवाओं, अनाथों, विकलांगों और वृद्ध व्यक्तियों (आतंकवाद के शिकार) (आरसीएमवी) के पुनर्वास के लिए परिषद | 300.00 |
| 6. | सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण | संस्थान और होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी श्रीनगर/ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (सोसायटी) जम्मू | 188.40 |
| 7. | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को समर्थन | उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग | 13,090.00 |
| 8. | अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएं | मैसर्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग (एनआईटीटी) -(एनआईआईटीजेके)/ ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन/ हिलाल इंस्टिट्यूट/ सिटीजन इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोपोर/ अस्सेंट ग्रुप | 105.64 |
| 9. | अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और दिव्यांग छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग | बांदीपोरा सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय | 106.27 |
| 10. | ई-कोर्ट फेज-2 | महा पंजीयक, जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट | 17,679.54 |
| 11. | युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम | जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान | 85.95 |
| 12. | दिव्यांगों के लिए योजना | बांदीपोरा कॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपोजिट रीजनल सेंटर, श्रीनगर/ कश्मीर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड सोलर टेक्नोलॉजी | 208.08 |
| 13. | जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास | एसकेयूएएसटी जम्मू/ कश्मीर, एसकेआईएमएस/ इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय | 1,147.65 |
| 14. | विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम | भारतीय समवेत औषध संस्थान,<br>श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, एसकेयूएएसटी जम्मू/ कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय। | 79.52 |
| 15. | ईएमआर सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन | राजकीय मेडिकल कॉलेज, जम्मू | 140.00 |

| क्रम सं. | भारत सरकार की योजना का नाम | राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां | भारत सरकार द्वारा निर्मोचन 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 16. | डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय योजना | जम्मू एवं कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी | 100.00 |
| 17. | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण आजीविका सोसायटी (जेकेआरएलएस) | 659.74 |
| 18. | वन स्टॉप सेंटर | उपायुक्त/ ओएससी, जिला कार्यक्रम अधिकारी | 87.52 |
| 19. | अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच | कश्मीर विश्वविद्यालय, कश्मीर पर्यावरण और सामाजिक संगठन। | 50.50 |
| 20. | सीखो और कमाओ-कौशल विकास पहल | मैसर्स नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग (एनआईटीटी) (एनआईआईटीजेके)/ सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग/ टैंड्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ सोफ्टेक इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन/ एवरग्रीन इंस्टिट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन | 1,324.22 |
| 21. | संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) | जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड | 357.12 |
| 22. | जेएंडके पीएमडीपी अनुदान के तहत पकुल दुल एचईपी के लिए चिनाब वैली पावर को केंद्रीय सहायता। | चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड | 20,000.00 |
| 23. | औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजना (आईआईयूएस) | राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको), जम्मू एवं कश्मीर | 820.50 |
| 24. | बुनियादी ढांचा विकास और क्षमता निर्माण | जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडको) | 491.12 |
| 25. | नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन | शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेएंडके (एसकेयूएएसटी-जेएंडके), कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी व्यापार उद्भवन केन्द्र | 361.89 |
| 26. | कला संस्कृति विकास योजना | जम्मू एवं कश्मीर में विभिन्न सांस्कृतिक और कल्याण समितियां | 434.61 |
| 27. | खेलों के विकास के लिए खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम | इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आईयूएसटी), अवंतिपोरा, पुलवामा, कश्मीर और निदेशक युवा सेवाएं और खेल जम्मू एवं कश्मीर | 531.34 |
| 28. | भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम | जम्मू एवं कश्मीर भू-अभिलेख प्रबंधन अभिकरण (जेकेएलआरएमए) | 477.00 |
| 29. | ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया को मजबूत करना | इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईएमपीए)/ रीजनल एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर बडगाम। | 100.40 |

| क्रम सं. | भारत सरकार की योजना का नाम | राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां | भारत सरकार द्वारा निर्मोचन 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 30. | नई मंजिल- एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल | कॉमटेक प्रौद्योगिकी संस्थान / नेशनल एजुकेशन सोसायटी एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन/ सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग/ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग | 479.85 |
| 31. | राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम | जम्मू एवं कश्मीर राज्य एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण सोसायटी-[जेकेएसएपीसीएस] | 777.04 |
| 32. | राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम | जम्मू एवं कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हरिओम पश्मीना हैंडलूम इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसायटी, जन कल्याण हैंडलूम बुनाई इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, एस्क्वायर रैफल्स पश्मीना हैंडलूम डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड, मैसर्स बादाम पश्मीना और रैफल हैंडलूम डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड, मैसर्स झेलम वैली बेसहारा बुनकर इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मैसर्स शोकिन पश्मीना रैफल और कॉटन हैंडलूम डब्ल्यूआईसीएस लिमिटेड | 295.90 |
| 33. | खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन | इंड्रो कश्मीर/ कचरू इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन/ केसर मसाले और फूड्स/ वाजान फूड्स, सुरक्षित और ताज़ा फूड्स/ शफात ऑयल मिल्स एंड स्पाइस/ मीर एग्रो इंडस्ट्रीज आदि। | 20.29 |
| 34. | तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (पीआरएएसएडी) | जम्मू एवं कश्मीर स्टेट केबल कार निगम लिमिटेड। | 1,152.11 |
| 35. | स्मॉल हाइड्रो पावर-ग्रिड इंटरएक्टिव | अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी कारगिल/ जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड | 1,433.35 |
| 36. | नए आईआईएम की स्थापना | भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू। | 1,645.00 |
| 37. | पारंपरिक उद्योगों के उत्थान हेतु निधि के लिए योजना (एसएफयूआरटीआई) | जम्मू एवं कश्मीर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड | 430.50 |
| 38. | विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण | कश्मीर विश्वविद्यालय/ श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय/ भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान/ शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू एवं कश्मीर | 1,517.28 |
| 39. | अनुसंधान प्रशिक्षण और अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं | परिवहन आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम | 349.25 |
| 40. | अनुसंधान और विकास | जम्मू एवं कश्मीर का शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड रिमोट सेंसिंग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संसथान, श्रीनगर। | 119.42 |
| 41. | विशिष्ट विषयों के आसपास पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन) | जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम लिमिटेड/ जम्मू एवं कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड | 11,550.08 |

| क्रम सं. | भारत सरकार की योजना का नाम | राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियां | भारत सरकार द्वारा निर्मोचन 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 42. | विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (यूएसटीटीएडी) | बांदीपोरा सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय | 82.20 |
| 43. | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर | 2,900.45 |
| 44. | राष्ट्रीय गोकुल मिशन | जम्मू एवं कश्मीर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी | 196.75 |
| 45. | बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | उप आयुक्त बीबीबी सांबा, पुलवामा, जिला विकास आयुक्त शोपियां, जिला मजिस्ट्रेट जम्मू, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग आदि। | 262.91 |
| 46. | सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी सब्सिडी | सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बौद्ध अध्ययन | 1,681.64 |
| 47. | कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन | जम्मू एवं कश्मीर का शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी / जम्मू एवं कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। | 521.20 |
| 48. | नए आईआईटी की स्थापना | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू | 13,928.00 |
| 49. | स्थापना व्यय-आयुष | जम्मू विश्वविद्यालय, स्कुआस कश्मीर, भद्रवाह विकास प्राधिकरण, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोवा-रिग्पा | 136.65 |
| 50. | परिवार कल्याण योजनाएं | कश्मीर विश्वविद्यालय | 84.92 |
| 51. | मतदाता शिक्षा | मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू एवं कश्मीर | 328.75 |
| 52. | रोड विंग्स के अंतर्गत निर्माण कार्य | विभिन्न व्यक्तियों और निजी निर्माण कंपनियां | 2,681.19 |
| 53. | पवन उर्जा- ऑफ ग्रिड | लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी | 85.72 |
| 54. | सीआरएफ से राज्य ईएंडआई को अनुदान | एमजी कान्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड | 763.66 |
| 55. | अन्य योजनाएं | अन्य योजनाएं | 875.80 |
| | **कुल** | | **1,10,491.13** |

*(स्रोत: वित्त लेखे 2017-18)*

## परिशिष्ट-2.1.1

**(संदर्भ पैराग्राफ: 2.1.8.4; पृष्ठ: 34)**

**पिछले दो वर्षों के दौरान जिन अधूरे कार्यों के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई, उनको दर्शाने वाला विवरण**

**(₹ लाख में)**

| क्रम सं | जलापूर्ति योजनाओं का नाम | डिविजन का नाम | प्रारंभ का वर्ष | अनुमानित लागत | | खर्च किये | | विभाग द्वारा प्रदान किए गए उत्तर का सार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मूल | संशोधित | वर्ष | राशि | |
| 1. | कन्हेरी | अखनूर | 2013-14 | 40.00 | 40.00 | 2014-15 | 28.75 | परित्याग के कारणों की जानकारी मांगी जाएगी और सूचित किया जाएगा। |
| 2. | ट्रिच | अवंतिपोरा | 2007-08 | 184.00 | 184.00 | 2012-13 | 161.10 | फंड जारी न करना |
| 3. | बाथन ज़ंट्रग | | 2003-04 | 219.00 | 219.00 | 2015-16 | 114.22 | स्रोत की कमी |
| 4. | शाह मोहल्ला चोपन बस्ती | | 2011-12 | 149.00 | 149.00 | 2015-16 | 86.97 | स्रोत से नहीं छोड़ा गया |
| 5. | मारवाल | | 2007-08 | 191.00 | 330.00 | 2013-14 | 204.70 | पीने योगी नहीं |
| 6. | अमीराबाद चंद्रीगाम | | 1999-2000 | 125.00 | 263.05 | 2012-13 | 125.27 | बढ़ी हुई लागत |
| 7. | बांडीपोरा बोमाई | सोपोर | 2011-12 | 59.97 | 59.97 | 2014-15 | 10.19 | जल्दी पूरा होने के लिए निधि जारी करने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बात की गई है |
| 8. | दरदूरा जलूरा | | 2010-11 | 61.13 | 61.13 | 2013-14 | 3.28 | |
| 9. | हरितार | | 2008-09 | 38.00 | 38.00 | 2015-16 | 5.67 | |
| 10. | आईआर शर्कवारा | | 2010-11 | 200.00 | 200.00 | 2015-16 | 6.55 | |
| 11. | फलिपोरा चनदेरगिर | | 2009-10 | 358.83 | 358.83 | 2014-15 | 344.60 | |
| 12. | रख शिल्वत | | 2010-11 | 35.95 | 35.95 | 2013-14 | 17.29 | |
| 13. | ओडिना में कुआ | | 2010-11 | 21.50 | 21.50 | 2015-16 | 47.00 | |
| 14. | बोहरिपोरा | | 2012-13 | 8.65 | 8.65 | 2014-15 | 2.00 | |

| क्रम सं | जलापूर्ति योजनाओं का नाम | डिविजन का नाम | प्रारंभ का वर्ष | अनुमानित लागत | | खर्च किये | | विभाग द्वारा प्रदान किए गए उत्तर का सार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मूल | संशोधित | वर्ष | राशि | |
| 15. | मोहदफ़ल (जीबी) | बिजबिहारा | 2013-14 | 29.29 | 29.29 | 2015-16 | 22.79 | निधि जारी नहीं की गयी |
| 16. | चाकुरा में बांध सह स्पिल वे | | 2013-14 | 84.00 | 84.00 | 2014-15 | 96.00 | निधि जारी नहीं की गयी |
| 17. | लेस्सू ब्रेन-नार्ड में आईआर | | 2010-11 | 265.00 | 265.00 | 2013-14 | 18.22 | निधि जारी नहीं की गयी |
| 18. | अरिगोहाल | | 2010-11 | 91.20 | 91.20 | 2014-15 | 60.14 | निधि जारी नहीं की गयी |
| 19. | गलबुघ | पुलवामा | 2007-08 | 266.78 | 366.76 | 2015-16 | 263.40 | बढ़ी हुई लागत |
| 20. | मिरबघ डौगाम | | 2009-10 | 200.00 | 320.00 | 2015-16 | 153.04 | बढ़ी हुई लागत |
| | **कुल** | | | **2,628.30** | **3,125.33** | | **1,771.18** | |

*(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट)*

## परिशिष्ट-2.1.2

**(संदर्भ पैराग्राफ: 2.1.8.5; पृष्ठ: 35)**

**सैंपल डिवीजनों में डीपीआर के बिना क्रियान्वित कार्य**

**(₹ लाख में)**

| क्रम सं | जल आपूर्ति योजना का नाम | डिवीजन का नाम | अनुमानित लागत | मार्च 2013 के अंत तक संचयी व्यय | मार्च 2018 के अंत तक संचयी व्यय | मार्च 2018 के अंत तक वास्तविक स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कन्हेरी | अखनूर | 40.00 | 0.00 | 28.75 | प्रगति में |
| 2. | थ्रोनी जोथल | | 758.50 | 0.00 | 88.91 | प्रगति में |
| 3. | बालसरू | | 71.50 | 64.50 | 71.50 | पूर्ण |
| 4. | राह/ हरदू मलारा | | 142.50 | 1.00 | 78.36 | प्रगति में |
| 5. | पालनवाला (छंब) नलकूप की खुदाई | | 69.00 | 41.00 | 69.00 | पूर्ण |
| 6. | रंगपुर चाम्ब नलकूप की खुदाई | | 77.00 | 45.00 | 77.00 | पूर्ण |
| 7. | भूम कुलीयन | | 197.50 | 105.00 | 165.75 | प्रगति में |
| 8. | जट्टा-दे-कोठे | | 120.50 | 2.00 | 81.79 | प्रगति में |
| 9. | जोगवन बरदो | | 162.00 | 2.00 | 44.38 | प्रगति में |
| 10. | कोट मकोटे | | 98.19 | 95.19 | 98.19 | पूर्ण |
| 11. | देवक | नौशेरा | 553.00 | 8.67 | 86.87 | जारी |
| 12. | चौकी नरियन | | 305.00 | 6.90 | 33.40 | जारी |
| 13. | कराल | ग्रामीण जम्मू | 93.00 | 81.88 | 93.00 | पूर्ण |
| 14. | चरंगल | | 87.00 | 75.60 | 87.00 | पूर्ण |
| 15. | कहालती | | 65.40 | 32.00 | 65.40 | पूर्ण |
| 16. | सिधरा (पुराना) | | 69.98 | 34.29 | 38.29 | पूर्ण |
| 17. | मट्टीन | | 68.31 | 39.21 | 68.31 | पूर्ण |
| 18. | खदता | | 69.70 | 35.90 | 69.70 | पूर्ण |
| 19. | चाकरोज चरण-II | | 109.52 | 9.00 | 88.06 | जारी |
| 20. | शुवाड़ा | | 121.00 | 33.00 | 117.50 | पूर्ण |
| 21. | डेलनी कसाना | | 180.00 | 10.00 | 119.49 | जारी |

| क्रम सं | जल आपूर्ति योजना का नाम | डिवीजन का नाम | अनुमानित लागत | मार्च 2013 के अंत तक संचयी व्यय | मार्च 2018 के अंत तक संचयी व्यय | मार्च 2018 के अंत तक वास्तविक स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | वद्देराबाद | पीएचई बारामूला | 225.00 | 0.00 | 7.50 | जारी |
| 23. | गतियार | | 224.48 | 12.89 | 42.30 | जारी |
| 24. | ख्वाजा गुंडी कासिम | | 366.00 | 0.00 | 31.50 | जारी |
| 25. | चेक्की सुल्तानपोरा | | 288.73 | 225.73 | 275.60 | जारी |
| 26. | रेंज | | 50.00 | 0.00 | 2.00 | जारी |
| 27. | फूट पार्क कॉलोनी गुलिगम (सोपोर) | | 210.00 | 0.00 | 5.14 | जारी |
| 28. | खोई | | 756.96 | 120.54 | 295.35 | जारी |
| 29. | सय्यद कॉलोनी चिनाड | | 30.00 | 2.00 | 30.00 | जारी |
| 30. | दन्दूसा डोलिगुंड | | 92.00 | 0.00 | 22.90 | जारी |
| 31. | ग्रामीण बारामूला के लिए संयंत्र | | 75.27 | 29.97 | 51.87 | जारी |
| 32. | सहकूल गोश्बुघ | | 38.00 | 25.98 | 26.36 | जारी |
| 33. | मलगनिपोरा | | 144.00 | 1.81 | 19.02 | जारी |
| 34. | आईआरपी वाटेरगम | | 48.00 | 41.12 | 43.18 | जारी |
| 35. | सय्यद कॉलोनी वाबूग | पीएचई सोपोर | 24.81 | 0.00 | 0.58 | जारी |
| 36. | रंगी | | 50.00 | 0.00 | 4.59 | जारी |
| 37. | शलपोरा तुजार शरीफ़ | | 462.00 | 0.00 | 29.47 | जारी |
| 38. | राखी हयगम हरितार | | 195.02 | 0.00 | 26.90 | जारी |
| 39. | फूट पार्क कॉलोनी | | 210.00 | 0.00 | 15.49 | जारी |
| 40. | आईआर शर्कवारा | पीएचई सोपोर | 200.00 | 6.25 | 6.55 | जारी |
| 41. | अधल चेर्वाड | पीएचई बिजबिहारा | 15.57 | 4.50 | 15.57 | पूर्ण |
| 42. | नागपथरी चंकितर | पीएचई अवन्तिपोरा | 299.13 | 0.00 | 31.90 | जारी |
| 43. | नेहामा | | 454.28 | 0.00 | 40.62 | जारी |
| | **कुल** | | **7,917.85** | **1,192.93** | **2,695.04** | |

| क्रम सं | जल आपूर्ति योजना का नाम | डिवीजन का नाम | अनुमानित लागत | मार्च 2013 के अंत तक संचयी व्यय | मार्च 2018 के अंत तक संचयी व्यय | मार्च 2018 के अंत तक वास्तविक स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **उन योजनाओं का विवरण जहां डीपीआर को ऑडिट करने के लिए नहीं दिखाया गया था** | | | | | |
| 1 | रफ्ता नीमू | लेह | 32.10 | 20.00 | 32.10 | पूर्ण |
| 2 | यौलखम | | 60.30 | 40.54 | 60.30 | पूर्ण |
| 3 | खलसर | | 40.80 | 15.00 | 40.80 | पूर्ण |
| 4 | उदमरू | | 43.35 | 15.00 | 43.35 | पूर्ण |
| 5 | साती | | 52.56 | 15.00 | 52.56 | पूर्ण |
| 6 | बरमा | | 60.18 | 46.70 | 60.18 | पूर्ण |
| 7 | उरसी डोक | | 26.80 | 19.31 | 26.80 | पूर्ण |
| 8 | चेग्से डकनक लामायुरु. | | 33.95 | 23.00 | 33.95 | पूर्ण |
| 9 | जासा बास्गो | | 249.60 | 65.00 | 181.39 | प्रगति में |
| 10 | कोंचू कोबेट | | 32.99 | 0.00 | 32.99 | प्रगति में |
| 11 | अगलिंग स्पीतुक | | 650.80 | 0.00 | 65.95 | प्रगति में |
| | **कुल** | | **1,283.43** | **259.55** | **630.37** | |

*(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट)*

## परिशिष्ट-2.1.3

**(संदर्भ पैराग्राफ: 2.1.8.10; पृष्ठ: 42)**

**भूमि अधिग्रहण/ स्रोत विकास आदि के बिना आरंभ की गईं जलापूर्ति योजनाओं का विवरण**

**(₹ लाख में)**

| क्रम सं. | जल आपूर्ति योजना का नाम | डिवीजन का नाम | प्रारम्भ करने की तिथि | पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि | अनुमानित लागत | वास्तविक व्यय | जिस वर्ष तक व्यय हुआ | निष्फल व्यय के कारण | अनंतिम स्थिति | डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | दत्रीयाल | ग्रामीण जम्मू | 2012-13 | 2014-15 | 275.90 | 83.99 | 2017-18 | भूमि के गैर-अधिग्रहण के कारण वितरण ओएचटी के बिना पूरा हुआ | जारी | ट्यूबवेल तथा ओएचटी के लिए चयनित भूमि न्यायाधीन थी। |
| 2. | बेरमीनी | | 2011-12 | 2013-14 | 401.65 | 199.16 | 2017-18 | ट्यूबवेल से पानी का अपर्याप्त प्रवाह | जारी | पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता |
| 3. | जमोतियान कोगरखू | अखनूर जम्मू | 2010-11 | 2011-12 | 149.78 | 106.34 | 2017-18 | स्रोत विकास के बिना वितरण पूरा हुआ। | जारी | सीजीडब्ल्यूबी ने डब्ल्यूएसएस के लिए अलग-अलग स्रोत रखे हैं |
| 4. | मावा चेरियन | | 2010-11 | 2012-13 | 126.38 | 67.97 | 2017-18 | स्रोत विकास के बिना वितरण पूरा हुआ। | जारी | ट्यूबवेल की विफलता के बाद, सीजीडबल्यूबी ने कुआं खोदने के लिए सलाह दी है |
| 5. | बस्ती जोगियाँ मोहल्ला | शहर-II जम्मू | 2011-12 | 2013-14 | 190.00 | 163.26 | 2017-18 | भूस्वामियों के बीच स्रोत विवाद | जारी | भूस्वामियों के बीच विवाद |
| 6. | संत रोचा सिंह | | 2012-13 | 2014-15 | 229.61 | 49.62 | 2016-17 | भूस्वामियों के बीच स्रोत विवाद | जारी | भूस्वामियों के बीच विवाद |

| क्रम सं. | जल आपूर्ति योजना का नाम | डिवीजन का नाम | प्रारम्भ करने की तिथि | पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि | अनुमानित लागत | वास्तविक व्यय | जिस वर्ष तक व्यय हुआ | निष्फल व्यय के कारण | अनंतिम स्थिति | डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | कठुआ औद्योगिक इस्टेट | पीएचई डिवीजन कठुआ | 2006-07 | 2008-09 | 161.25 | 119.79 | 2017-18 | ओएचटी के बिना वितरण पूर्ण हुआ | जारी | धन की अनुपलब्धता के कारण डबल्यूएसएस पूरा नहीं हुआ |
| 8. | बारी दरहल | पीएचई डिवीजन राजौरी | 2008-09 | 2011-12 | 374.70 | 138.26 | 2017-18 | 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी एलएफ़/ डीएस पूरा नहीं हुआ | जारी | पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता |
| 9. | टोपा डोडज | | 2007-08 | 2010-11 | 399.00 | 154.20 | 2017-18 | इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन और पंप मशीनरी | जारी | पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता |
| 10. | जुंगरियाल | पीएचई नौशेरा | 2011-12 | 2014-15 | 271.30 | 100.60 | 2017-18 | स्रोत विकास, पंपिंग स्टेशन जैसे यांत्रिक भाग को पूरा नहीं किया गया था | जारी | अल्प धन के कारण स्रोत पूरा नहीं हो सका |
| 11. | बेरी पट्टन | | 2010-11 | 2013-14 | 179.48 | 153.13 | 2017-18 | योजना का स्रोत और निस्पंदन संयंत्र पूरा नहीं हुआ | जारी | धन की अल्पता के कारण योजना पूर्ण नहीं हो सकी। |
| 12. | नीमू | पीएचई लेह | 2012-13 | 2014-15 | 399.00 | 282.58 | 2017-18 | पम्पिंग मशीनरी की गैर-स्थापना | जारी | धन की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण नहीं हो सका |
| 13. | जहामा | पीएचई बारामूला | 2007-08 | 2010-11 | 354.00 | 284.47 | 2017-18 | वितरण नेटवर्क के न बिछाने और फिटिंग तथा अतिरिक्त कच्चे पानी के सह-पंप हाउस का निर्माण नहीं करना | जारी | योजना को चालू वर्ष में पूरा किया जाएगा जोकि उच्च अधिकारियों से प्राप्त धन के अधीन है |

| क्रम सं. | जल आपूर्ति योजना का नाम | डिवीजन का नाम | प्रारम्भ करने की तिथि | पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि | अनुमानित लागत | वास्तविक व्यय | जिस वर्ष तक व्यय हुआ | निष्फल व्यय के कारण | अनंतिम स्थिति | डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | भट मोहल्ला सांग्री गुजरपटी | | 2012-13 | 2015-16 | 348.25 | 217.17 | 2017-18 | स्रोत विवाद | जारी | स्रोत विवाद |
| 15. | खुशालपोरा सय्यद कॉलोनी संग्रामा | | 2012-13 | 2015-16 | 690.82 | 164.32 | 2017-18 | स्रोत साइट के गलत चयन का परिणाम दूषित पानी निकलना। | कार्य रोका गया | पानी पीने योगी नहीं |
| 16. | शाह मोहल्ला पंजीनारा | पीएचई सोपोर | 2012-13 | 2015-16 | 402.14 | 158.40 | 2017-18 | स्रोत विवाद | कार्य रोका गया | स्रोत विवाद |
| 17. | शिवा-जैनागीर | | 2012-13 | 2015-16 | 309.00 | 347.68 | 2017-18 | स्रोत विवाद मामले के न्यायाधीन होने के कारण 150 मिमी व्यास फीडिंग मेन की बिछाने और फिटिंग को क्रियान्वित नहीं किया जा सका | कार्य रोका गया | स्रोत विवाद |
| 18. | सईदापोरा-दंगरपोरा | | 2011-12 | 2013-14 | 816.00 | 367.07 | 2017-18 | भूमि विवाद मामला न्यायाधीन | विवाद के कारण कार्य रोका गया | न्यायाधीन |
| 19. | निगली घाट | | 2013-14 | 2015-16 | 294.43 | 112.57 | 2015-16 | वन विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं करना | अवरुद्ध कार्य एनओसी प्राप्त करने के पश्चात शुरू किया जाएगा | एनओसी जारी करने हेतु मामला वन विभाग के साथ उठाया गया है |

| क्रम सं. | जल आपूर्ति योजना का नाम | डिवीजन का नाम | प्रारम्भ करने की तिथि | पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि | अनुमानित लागत | वास्तविक व्यय | जिस वर्ष तक व्यय हुआ | निष्फल व्यय के कारण | अनंतिम स्थिति | डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | अशाम बोनपोरा जूनीपोरा | | 2011-12 | 2013-14 | 234.37 | 195.00 | 2017-18 | डीपीआर में डीआई पाइप 200 मिमी व्यास राइसिंग मेन बिछाने और फिटिंग का गैर-निगमन | जारी | मूल डीपीआर के तहत गैर-निगमन घटक |
| 21. | अलसफ़ा कॉलोनी | पीएचई यांत्रिक (उत्तर) सोपोर | 2011-12 | 2013-14 | 195.00 | 167.24 | 2016-17 | डबल्यूएसएस के सफल कमीशन के लिए आवश्यक उपकरणों/ वर्क्स को मूल डीपीआर के दायरे में शामिल नहीं किया गया था | जारी | कुछ कार्य मूल अनुमानों के अंतर्गत नहीं हैं जोकि सफल कमीशन के लिए आवश्यक हैं |
| 22. | शेखपोरा अनन्वान | | 2012-13 | 2014-15 | 32.50 | 20.75 | 2017-18 | भूमि विवाद के कारण सिविल कार्य अपूर्ण | जारी | भूमि विवाद |
| 23. | बुमहमा | | 2011-12 | 2014-15 | 109.00 | 69.31 | 2017-18 | भूस्वामियों के साथ विवाद | जारी | भूमि विवाद |
| 24. | दडचेक में आईआर संयंत्र | | 2012-13 | 2014-15 | 84.00 | 37.00 | 2017-18 | भूमि विवाद | कार्य रोका गया | भूमि विवाद |
| 25. | राइटेंगीरी | पीएचई बिज्जिबेहेड़ा | 2012-13 | 2014-15 | 115.00 | 115.00 | 2017-18 | निस्पंदन प्लांट के पूरा न होने के कारण योजना पूर्ण हैं परंतु क्रियाशील नहीं है | पूर्ण परंतु क्रियाशील नहीं | इसे क्रियाशील बनाने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है |
| 26. | मस्खुड | पीएचई काजीगुंड | 2008-09 | 2010-11 | 159.41 | 154.97 | उपलब्ध नहीं | वितरण नेटवर्क के लिए पाइप के न बिछाने और फिटिंग न होने के कारण स्रोत कम हो गया - | जारी | स्रोत कम हो गया |

| क्रम सं. | जल आपूर्ति योजना का नाम | डिवीजन का नाम | प्रारम्भ करने की तिथि | पूर्ण होने की परिकल्पित तिथि | अनुमानित लागत | वास्तविक व्यय | जिस वर्ष तक व्यय हुआ | निष्फल व्यय के कारण | अनंतिम स्थिति | डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | अतिरिक्त ओएचटी गस्सीपोरा का निर्माण | | 2013-14 | 2015-16 | 69.75 | 64.22 | उपलब्ध नहीं | पानी की गुणवत्ता की समस्या के कारण योजना को चालू नहीं किया जा सका क्योंकि डीपीआर में निस्पंदन संयंत्र निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया था | जारी | जल गुणवत्ता समस्या |
| 28. | गल्लेण्डर | पीएचई अवन्तिपोरा | 2007-08 | 2010-11 | 195.50 | 250.80 | 2017-18 | लागत अधिक होने के कारण न तो योजना पूरी नहीं हो सकी और न चालू हो सकी | बढ़ी हुई लागत | बढ़ी हुई लागत |
| | **कुल** | | | | **7,567.22** | **4,344.87** | | | | |

*(स्रोत : नमूनित डिवीजनों में डबल्यूएसएस की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट)*

## परिशिष्ट-2.2.1

**(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.2 एवं 2.2.4; पृष्ठ: 54 और 57)**

**संगठनात्मक ढांचा और लेखापरीक्षा के मापदंड**

**जम्मू एवं कश्मीर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी**

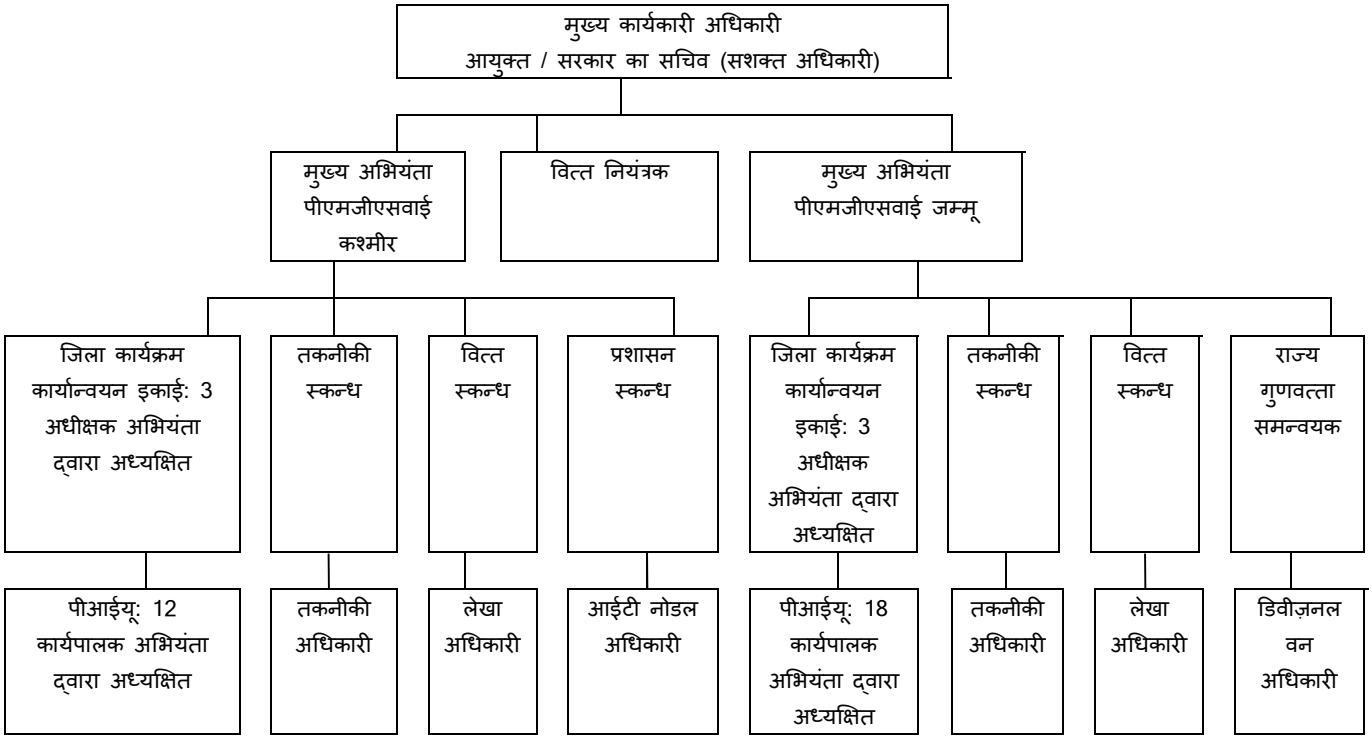


*(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना)*

| **लेखापरीक्षा के मापदंड** |
|---|
| 1. जिला ग्रामीण पथ योजना (डीआरआरपी), कोर नेटवर्क, सीएनसीपीएल और सीयूपीएल; |
| 2. पीएमजीएसवाई की संचालन नियमावली और मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के उपबंध; |
| 3. जम्मू और कश्मीर लोक कार्य संहिता और समय-समय पर निर्गत आदेश; और |
| 4. गुणवत्ता नियंत्रण और अनुश्रवण प्रणाली। |

## परिशिष्ट-2.2.2

**(संदर्भ पैराग्राफ:2.2.4; पृष्ठ: 56)**

**सड़क परियोजनाओं की स्थिति**

**(सड़क परियोजनाएं/ बस्तियां संख्या में, लंबाई कि.मी. में तथा लागत ₹ करोड़ में)**

| विवरण | | वर्ष वार ब्योरा | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2013-18 |
| लंबाई और बस्तियां सहित संस्वीकृत सड़क परियोजनाएं जो कि वर्ष की शुरुआत में जुड़े हुए नहीं थे | सड़क परियोजनाएं | 1,227 | 1,022 | 845 | 681 | 1,126 | - |
| | लंबाई | 5,863.13 | 4,971.34 | 4,036.68 | 3,548.57 | 6,639.91 | - |
| | बस्तियां | 749 | 560 | 428 | 343 | 851 | - |
| | लागत | 3,289.30 | 2,755.13 | 2,332.40 | 2,074.01 | 4,619.77 | - |
| वर्ष के दौरान लंबाई तथा बस्तियां सहित संस्वीकृत सड़क परियोजनाएं | सड़क परियोजनाएं | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 |
| | लंबाई | 0 | 0 | 0 | 3,519.94 | 0 | 3,519.94 |
| | बस्तियां | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 |
| | संस्वीकृत लागत | 0 | 0 | 0 | 2,842.32 | 0 | 2,842.32 |
| **जोड़ने हेतु लंबाई तथा बस्तियां सहित कुल सड़क परियोजनाएं** | **सड़क परियोजनाएँ** | **1,227** | **1,022** | **845** | **1,223** | **1,126** | **-** |
| | **लंबाई** | **5,863.13** | **4,971.34** | **4,036.68** | **7,068.51** | **6,639.91** | **-** |
| | **बस्तियां** | **749** | **560** | **428** | **938** | **851** | **-** |
| | **लागत** | **3,289.30** | **2,755.13** | **2,332.40** | **4,916.33** | **4,619.77** | **-** |
| लंबाई तथा बस्तियां की सहित जोड़ी गई कुल सड़क परियोजनाएं | सड़क परियोजनाएं | 205 | 177 | 164 | 97 | 167 | 810 |
| | लंबाई | 891.79 | 934.66 | 488.11 | 428.60 | 1,429.34 | 4,172.50 |
| | बस्तियां | 189 | 132 | 85 | 87 | 226 | |
| | लागत | 534.17 | 422.73 | 258.39 | 296.56 | 709.44 | |
| पूर्ण की गई सड़क परियोजनाएं (प्रतिशत में) | | 17 | 17 | 19 | 8 | 15 | |
| **वर्ष के अंत में लंबाई तथा बस्तियां सहित बिना जुड़ी हुई सड़क परियोजनाएँ** | **सड़क परियोजनाएं** | **1,022** | **845** | **681** | **1,126** | **959** | |
| | **लंबाई** | **4,971.34** | **4,036.68** | **3,548.57** | **6,639.91** | **5,210.57** | |
| | **बस्तियां** | **560** | **428** | **343** | **851** | **625** | |
| | **लागत** | **2,755.13** | **2,332.40** | **2,074.01** | **4,619.77** | **3,910.33** | |

*(स्रोत: जेकेएसआरआरडीए के अभिलेख)*

## परिशिष्ट-2.2.3

**(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.4; पृष्ठ: 57)**

**निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु नमूना-चयन**

| जिले का नाम | कुल पैकेज | | | | | चयनित पैकेज | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सड़क परियोजनाओं की संख्या | निष्पादन लेखापरीक्षा से पूर्व जारी सड़क निर्माण कार्य | निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संस्वीकृत सड़क निर्माण कार्य | पूर्ण किए गए सड़क निर्माण कार्य | जारी सड़क निर्माण कार्य | सड़क परियोजनाओं की संख्या | निष्पादन लेखापरीक्षा से पूर्व जारी सड़क निर्माण कार्य | निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संस्वीकृत सड़क निर्माण कार्य | पूर्ण किए गए सड़क निर्माण कार्य | जारी सड़क निर्माण कार्य |
| **नए संबद्ध निर्माण कार्य** | | | | | | | | | | |
| रामबन | 77 | 65 | 12 | 22 | 55 | 20 | 17 | 3 | 5 | 15 |
| राजौरी | 166 | 105 | 61 | 74 | 92 | 42 | 26 | 16 | 18 | 24 |
| उधमपुर | 280 | 237 | 43 | 91 | 189 | 70 | 57 | 13 | 26 | 44 |
| जम्मू | 53 | 34 | 19 | 31 | 22 | 14 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| बारामूला | 75 | 49 | 26 | 22 | 53 | 19 | 15 | 4 | 5 | 14 |
| गांदरबल | 67 | 55 | 12 | 23 | 44 | 17 | 16 | 1 | 6 | 11 |
| कुपवाड़ा | 69 | 60 | 9 | 46 | 23 | 18 | 17 | 1 | 15 | 3 |
| अनंतनाग | 110 | 87 | 23 | 59 | 51 | 28 | 20 | 8 | 16 | 12 |
| लेह | 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| **कुल** | **907** | **702** | **205** | **374** | **533** | **233** | **182** | **51** | **101** | **132** |
| **उन्नयन निर्माण कार्य** | | | | | | | | | | |
| रामबन | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| राजौरी | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |

| जिले का नाम | कुल पैकेज | | | | | चयनित पैकेज | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सड़क परियोजनाओं की संख्या | निष्पादन लेखापरीक्षा से पूर्व जारी सड़क निर्माण कार्य | निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संस्वीकृत सड़क निर्माण कार्य | पूर्ण किए गए सड़क निर्माण कार्य | जारी सड़क निर्माण कार्य | सड़क परियोजनाओं की संख्या | निष्पादन लेखापरीक्षा से पूर्व जारी सड़क निर्माण कार्य | निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संस्वीकृत सड़क निर्माण कार्य | पूर्ण किए गए सड़क निर्माण कार्य | जारी सड़क निर्माण कार्य |
| उधमपुर | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| जम्मू | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| बारामूला | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| गांदरबल | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| कुपवाड़ा | 24 | 12 | 12 | 11 | 13 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| अनंतनाग | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| लेह | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| **कुल** | **72** | **21** | **51** | **20** | **52** | **39** | **13** | **26** | **13** | **26** |
| **कुल योग** | **979** | **723** | **256** | **394** | **585** | **272*** | **195** | **77** | **114** | **158** |

*(*272 नमूनित सड़क परियोजनाओं में से, 18 सड़क परियोजनाएं सैंपलिंग के समय निविदा/ गैर-आबंटन के अधीन थीं तथा, इस प्रकार विस्तृत संवीक्षा हेतु विचार नहीं किया गया)*

## परिशिष्ट-2.2.4

**(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.6.2 (ख); पृष्ठ: 73)**

**विभागीय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से प्रत्यक्ष निरीक्षित की गई सड़कों की सूची**

| क्रम सं | जिला | कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई | चरण-I | | | | चरण-II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पैकेज संख्या/ फेज | सड़क का नाम | पूर्ण होने की तिथि | व्यय | पैकेज संख्या/ फेज | स्थिति |
| 1 | उधमपुर | उधमपुर | जेके14- 153/ VII | मौड़ से पट्टियान से ऊपरी मौड़ | दिसंबर 2012 | 266.81 | 316/ VIII | एनए (आबंटित नहीं) |
| 2 | उधमपुर | उधमपुर | जेके14-411/X | मानसर से सौराप | नवंबर 2017 | 278.98 | | एनए |
| 3 | उधमपुर | रामनगर | जेके14-21/ V | प्लासीयन से पिंगर | मई 2017 | 280.84 | 242/ VIII | एनए |
| 4 | उधमपुर | रामनगर | जेके14-158/ VII | सुनेटर खास से धनवाल्ट | जून 2013 | 490.69 | 351/ VIII | एनए |
| 5 | उधमपुर | रामनगर | जेके14-149/ VII | डूडु से गुरातास | मार्च 2017 | 252.82 | 344/ VIII | एनए |
| 6 | उधमपुर | रामनगर | जेके14-154/ VII | जखेड़ से गुरशलला | मई 2017 | 93.10 | 324/ VIII | एनए |
| 7 | रामबन | रामबन | जेके14-54/ VI | मावेयल कोटे सुंददा ठेठारका | सितंबर 2016 | 215.43 | 367/ VIII | एनए |
| 8 | रामबन | रामबन | जेके14-42/ VI | पर्थमुल्ला तुंगीयन जब्बर | अक्टूबर 2013 | 190.56 | 368/ VIII | एनए |
| 9 | रामबन | बनिहाल | जेके04-68/ VI | बीबी रामसू अदमार्ग से माहो | पूर्ण | 445.05 | 452/ XI | एनए |
| 10 | राजौरी | राजौरी | जेके12-16/ V | राजधानी से पंजग्रैन | मई 2013 | 422.89 | 221/ X | निविदा के अधीन (यूटी) |
| 11 | राजौरी | राजौरी | जेके12-42/ VI | डूंगी से नाम्ब्लन | दिसंबर 2013 | 146.13 | 208/ X | यूटी |
| 12 | लेह | लेह | जेके09-03 | हुंडर से हुंडर डॉक | दिसंबर 2013 | 195.16 | एनए | एनए |

*(स्रोत: पीआईयू के वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट)*

## परिशिष्ट-2.2.5

### (संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.8; पृष्ठ: 81)

### विभिन्न कारणों से राज्य में रुकी हुई सड़क परियोजनाओं का विवरण

| क्रम सं | पीआईयू का नाम | सड़क परियोजना का नाम | पैकेज संख्या | चरण | फेज | लंबाई कि.मी. में | संस्वीकृत लागत (₹ लाख में) | जनवरी 2018 तक व्यय (₹ लाख में) | संबद्ध होने वाली बस्तियों की संख्या | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **जम्मू प्रांत** | | | | | | | | | | |
| 1 | माहोर | भाल्ल से शिब्रास्स | जेके14-43 | I | VI | 9.06 | 712.14 | 391.14 | 1 | 5वें कि.मी. में पुल के ऊपर सीडी/ संरक्षण कार्य रुके हुए हैं क्योंकि पुल स्वीकृत पैकेज में शामिल नहीं है। |
| 2 | बिलावर | नान-गल्ला से ट्राप्पर | जेके07-25 | I | VI | 1.58 | 74.78 | 21.13 | 3 | माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के कारण निर्माण कार्य अक्टूबर 2012 से रुका हुआ है। |
| 3 | बनिहाल | हेवागन से धंमस्ता | जेके04-99 | I | VI | 9.20 | 628.06 | 255.11 | 1 | टेक ऑफ पॉइंट बदला गया, एनआरआरडीए को अनुमोदन हेतु संशोधित प्रस्ताव भेजा गया था। |
| 4 | माहोर | चिताबस से सिलधार | जेके14-136 | I | VII | 6.00 | 353.20 | 248.24 | 1 | ठेकेदार द्वारा कार्य रोका गया, प्रिंट मीडिया द्वारा अंतिम नोटिस भेजा गया। |
| 5 | डोडा | खेल्लानी द्रांगा हुड से सरस | जेके04-114 | I | VII | 11.82 | 698.58 | 135.92 | 4 | नई संयुक्त जांच संचालित की गई, मामला सीसीएफ़ को भेजा गया, कार्य अवरुद्ध है। |
| 6 | रामबन | बटोत से चकवाह तक सड़क | जेके04-133 | I | VII | 10.00 | 829.26 | 149.04 | 6 | वन निर्बाधन प्रतीक्षित |
| 7 | उधमपुर | सिरा से घरी | जेके14-155 | I | VII | 5.02 | 261.83 | 218.74 | 1 | योजना वन्य जीवन भाग में 1 आरडी-500-1000 में रुकी हुई है। |
| 8 | माहोर | लेंचा हरीवाला | जेके14-140 | I | VII | 10.00 | 721.97 | 346.32 | 2 | वन संस्वीकृति प्रतीक्षित |
| 9 | रामबन | ढाइनों से पप्रयाह | जेके04-131 | I | VII | 6.00 | 352.70 | 0.34 | 1 | वन संस्वीकृति प्रतीक्षित |
| 10 | उधमपुर | चौकी से खुरकल | जेके14-112 | I | VII | 9.05 | 374.84 | 290.24 | 2 | माननीय उच्च न्यायालय के स्टे के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है |

| क्रम सं | पीआईयू का नाम | सड़क परियोजना का नाम | पैकेज संख्या | चरण | फेज | लंबाई कि.मी. में | संस्वीकृत लागत (₹ लाख में) | जनवरी 2018 तक व्यय (₹ लाख में) | संबद्ध होने वाली बस्तियों की संख्या | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | माहोर | अरनस से चीलड़ | जेके14-139 | I | VII | 11.00 | 684.76 | 145.70 | 1 | संस्वीकृत लंबाई 11 कि.मी. में से अर्थवर्क 3.900 किमी तक पूर्ण हुआ। मामला माननीय अधीनस्थ न्यायालय, रेयासी में ट्राइल के अधीन है। |
| 12 | माहोर | चकलस्स से धारियन | जेके14-188 | I | VII | 5.50 | 383.66 | 103.78 | 1 | संरचना प्रतीकर लंबित |
| 13 | रामबन | खूंगा से कोठी जागीर | जेके04-135 | I | VIII | 9.20 | 384.30 | 258.74 | 2 | 5 वे कि.मी. से आगे वन मंजूरी न मिलने के कारण रुका हुआ |
| 14 | ठाठरी | ठलोरम से समी | जेके04-150 | I | VIII | 6.37 | 435.20 | 314.42 | 1 | मामला वन विभाग को भेजा गया तथा सीसीएफ़ के पास एफ़एसी को आगे भेजने हेतु पड़ा है। |
| 15 | रामनगर | चाराल से नप्पाह | जेके14-166 | I | VIII | 9.90 | 522.11 | 245.60 | 1 | वन मंजूरी न मिलने के कारण योजना को 7.2 किमी से परे 9.2 किमी के आगे रोका जाना। |
| 16 | जम्मू | कहपोता से अप्पर स्ले | जेके05-99 | II | VIII | 2.23 | 66.19 | 20.07 | 0 | भूमि अधिग्रहण तथा टेक ऑफ प्लांट में निजी संरचना के कारण कार्य रोका गया। |
| 17 | बुधल | एल025 से नरला | जेके12-164 | I एवं II | IX | 12.00 | 1,261.01 | 171.29 | 2 | वन संस्वीकृति प्राप्त की गई, कार्य शुरू किया जाना है |
| **कश्मीर प्रांत** | | | | | | | | | | |
| 18 | अनंतनाग | रीन चौगुंड से कूट गुज्जर बस्ती | जेके01-122 | I | VII | 3.0 | 116.55 | 0 | 1 | वन मंजूरी लंबित |
| 19 | अनंतनाग | रीन चौगुंड से कूट गुज्जर बस्ती | जेके01-251 | II | VIII | 3.0 | 162.51 | 0 | 0 | वन मंजूरी लंबित |
| 20 | अनंतनाग | एल032 से मसवार्ड | जेके01-267 | I | X | 2.3 | 168.77 | 20.47 | 1 | वन मंजूरी लंबित |
| 21 | अनंतनाग | विलू से बौंकाह | जेके01-291 | I | X | 1.5 | 112.45 | 0 | 1 | संरेखण विवाद |
| 22 | अनंतनाग | देस्सू से गोग्नार्ड | जेके01-112 | I | VII | 3.0 | 175.62 | 91.76 | 1 | भूमि विवाद |
| 23 | अनंतनाग | देस्सू से गोग्नार्ड | जेके01-244 | II | VIII | 3.00 | 119.40 | 0 | 0 | भूमि विवाद |
| 24 | बांदीपोरा | नेररू से सिकंदर | जेके03-72 | I | VII | 6.7 | 470.90 | 392.10 | 2 | वन मंजूरी लंबित |
| 25 | बांदीपोरा | एल02 से सफाइड आब | जेके03-160 | I | X | 3.5 | 274.70 | 0 | 1 | वन मंजूरी लंबित |
| 26 | बांदीपोरा | पुराना टेलीहाल से दांगीठाल | जेके03-161 | I | X | 2.0 | 172.26 | 39.11 | 2 | वन मंजूरी लंबित |

| क्रम सं | पीआईयू का नाम | सड़क परियोजना का नाम | पैकेज संख्या | चरण | फेज | लंबाई कि.मी. में | संस्वीकृत लागत (₹ लाख में) | जनवरी 2018 तक व्यय (₹ लाख में) | संबद्ध होने वाली बस्तियों की संख्या | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | बांदीपोरा | डावर टेलीहाल रोड काशपोत से रेफूजी | जेके03-162 | I | X | 11.0 | 939.79 | 0 | 4 | वन मंजूरी लंबित |
| 28 | बांदीपोरा | गुजरां से अब्दुल्लियाँ | जेके03-163 | I | X | 3.5 | 328.39 | 0 | 1 | संरेखण का स्थानांतरण |
| 29 | बांदीपोरा | पीर बूथो से चंदाजी | जेके03-155 | I | X | 6.0 | 689.90 | 0 | 1 | वन मंजूरी लंबित |
| 30 | बांदीपोरा | अठवाटू वेवन से लबकचेल | जेके03-164 | I | X | 14.0 | 975.06 | 0 | 3 | वन मंजूरी लंबित |
| 31 | उरी | डाकेन से गनी मोहल्ला | जेके03-168 | I | X | 4.0 | 331.96 | 0 | 1 | संरेखण/ भूमि विवाद |
| 32 | उरी | सुल्तान ढाकी से धानीमार | जेके03-170 | I | X | 3.4 | 300.25 | 0 | 1 | संरेखण विवाद |
| 33 | उरी | चंदनवाड़ी से चंदनवाड़ी बाला | जेके03-176 | I | X | 3.0 | 273.28 | 82.11 | 1 | वन मंजूरी लंबित |
| 34 | गांदरबल | एनएचडबल्यू- गगनजीमर्ड | जेके13-50 | I | VII | 2.0 | 126.78 | 0 | 3 | बस्तियाँ संबद्ध |
| 35 | गांदरबल | थुने से बढ़ी पथरी | जेके13-49 | I | VII | 8.0 | 573.74 | 0 | 2 | न्यायालय का स्टे/ वन मंजूरी लंबित |
| 36 | गांदरबल | एनएचडबल्यू से गुजरपट्टी द्वितीय | जेके13-106 | I | X | 1.5 | 100.71 | 0.35 | 1 | भूमि अधिग्रहण लंबित |
| 37 | गांदरबल | एल042 से शेखपोरा | जेके13-109 | I | X | 1.9 | 112.75 | 0.44 | 1 | भूमि विवाद |
| 38 | गांदरबल | एनएचडबल्यू से गिचखुद | जेके13-111 | I | X | 5.6 | 435.02 | 1.23 | 1 | भूमि अधिग्रहण लंबित |
| 39 | गांदरबल | सुमबलबल से छेकिगुंड | जेके13-115 | I | X | 3.0 | 250.04 | 32.45 | 1 | भूमि समस्या |
| 40 | गांदरबल | एलएसबी सुमबलबल से छेकिगुंड | जेके13-119 | एल एसबी | X | | 323.61 | 14.26 | 0 | भूमि समस्या |
| 41 | श्रीनगर | एल034 से न्यूठीड मुल्हर | जेके13-108 | I | X | 3.2 | 78.28 | 0 | 1 | भूमि विवाद |
| 42 | कुलगाम | रेडवानी से रामपोरा | जेके01-301 | I | X | 1.76 | 111.43 | 0 | 1 | भूमि प्रतिकर |
| 43 | कुलगाम | एचपी तवल्ला से राखी हसनपोरा | जेके01-302 | I | X | 1.75 | 92.43 | 0 | 1 | भूमि प्रतिकर |
| 44 | बडगाम | एल040 डुडरू से नौगाम | जेके02-85 | I | X | 1.87 | 254.38 | 0 | 1 | वन मंजूरी लंबित |
| 45 | कारगिल | एल/ आर शकर सफ़ी | जेके06-16 | I एवं II | VI | 3.0 | 49.52 | 2.52 | 1 | भूमि विवाद |
| 46 | पुलवामा | नाइरा से चेक नाइरा | जेके10-152 | I | X | 1.5 | 103.24 | 0 | 1 | भूमि विवाद |
| | **कुल** | | | | | | **16,968.31** | **3,992.62** | **66** | |

*(स्रोत: पीएमजीएसवाई जम्मू/ श्रीनगर, मुख्य अभियंता की प्रगति रिपोर्ट)*

## परिशिष्ट-2.2.6

### (संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.8.5; पृष्ठ: 86)

### लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अन्य प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ

| क्रम सं. | अनियमितता की प्रकृति | दिशा निदेशों के अनुसार आवश्यकता | लेखापरीक्षा आपत्तियाँ | विभाग का उत्तर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रशासनिक अनुमोदन/ तकनीकी संस्वीकृति का न मिलना | एमओआरडी, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों की मंजूरी का मिलना यह संकेत नहीं देता है कि प्रशासनिक प्रस्ताव (एए) या तकनीकी स्वीकृति (टीएस) मिल गई है बल्कि इस संबंध में राज्य सरकार को भी ऐसी प्रक्रिया अपनानी होती है। (कार्यक्रम दिशा निर्देश का पैरा 10.2) | नौ नमूना जिलों में 254 सड़क परियोजनाएँ, ₹1,031.35 करोड़ की लागत से संस्वीकृत की गई थी, जिस पर ₹514.62 करोड़ का व्यय किया गया था, जो प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी संस्वीकृति के बिना ₹935.96 करोड़ की लागत पर आवंटित की गई थी। | ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि सड़क परियोजनाएं एसटीए, एसएलएससी और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं और अलग-अलग एए/ टीएस की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, निर्देशों को अनुपालन हेतु नोट किया गया है |
| 2. | निविदाएँ आमंत्रित करने में अनियमितताएँ | मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। (पीएमजीएसवाई के ओएम का पैरा 7.11) | लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई 272 सड़क परियोजनाओं में से 77 सड़क परियोजनाओं[1] के लिए निविदाएं मंत्रालय द्वारा अनुमोदन की तारीख से 3 दिन से 5 वर्ष और 11 महीनों[2] के बीच विलंब से आमंत्रित की गई। | मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई कश्मीर ने (जुलाई 2018 में) कहा कि भारत सरकार द्वारा योजनाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद निविदाओं को तुरंत आमंत्रित किया गया था। हालाँकि, चरण-I के तहत स्वीकृत सड़क परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण, चरण-II कार्यों के लिए निविदाओं के आमंत्रण में देरी हुई। इसके अतिरिक्त, अदालती मामलें, भूमि विवाद, वन मंजूरी आदि जैसे बाधाओं को देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। |

1 जम्मू: 59; कश्मीर: 18

2 बलहामा से ब्रामण तक पैकेज संख्या जेके 03-08 के तहत सड़क को एनआरआरडीए द्वारा जून 2004 में संस्वीकृति दी गई थी, जबकि एनआईटी को पीआईयू बारामूला द्वारा अप्रैल 2010 में आमंत्रित किया गया था

| क्रम सं. | अनियमितता की प्रकृति | दिशा निदेशों के अनुसार आवश्यकता | लेखापरीक्षा आपत्तियाँ | विभाग का उत्तर |
|---|---|---|---|---|
| 3. | कार्य आबंटन/ प्रदान करने मे देरी | पीएमजीएसवाई दिशानिर्देश (पैरा 13.2) में निर्दिष्ट है कि औसत निविदा समय 75 दिन है अर्थात इसी समय सीमा के भीतर एनआरआरडीए द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन की तारीख से ही कार्यों को प्रदान किया जाना है।<br><br>टेंडर को अंतिम रूप देने और काम को प्रदान किए जाने को 71 दिनों (पुन: निविदा के मामले में 120 दिन) के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। (ओएम का पैरा 8.1.2) | जम्मू प्रांत में, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चरण-II के तहत 76 सड़क परियोजनाओं[3] में से, ₹121.02 करोड़ की संस्वीकृत लागत के साथ 30 सड़क परियोजनाओं को निविदा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। चूंकि इन सड़क परियोजनाओं का चरण-I अभी भी अपूर्ण था और शेष ₹154.31 करोड़ की संस्वीकृत लागत वाली 46 सड़क परियोजनाएं निविदाओं की प्रतिक्रिया में अभाव के कारण प्रदान नहीं की जा सकीं। इन सड़क परियोजनाओं के चरण-II के लिए एमओआरडी से मंजूरी प्राप्त करने से पहले चरण-I को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता और मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद भी 60 से 65 महीने तक इन सड़क परियोजनाओं को प्रदान नहीं किया जाना एक खराब योजना का संकेत था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 148 सड़कों की परियोजनाओं (जम्मू: 96; कश्मीर: 52) की बोली प्रक्रिया को पूरा करने में 3 दिन से 2 साल और 8 महीने के बीच देरी हुई थी और नौ मामलों में, निविदाओं की पहली कॉल का विवरण अभिलेखों में नहीं था (फरवरी 2018)। | |
| 4. | बीमा कवर का प्रावधान न किया जाना | ठेकेदार अपनी लागत से दोष देयता अवधि शुरू होने की तारीख से लेकर अंत तक उपकरणों, संपत्ति और व्यक्तिगत चोट या ठेकेदारों के जोखिम के कारण होने वाली क्षति के नुकसान के लिए इंश्योरेंस कवर प्रदान करेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट ठेकेदार द्वारा प्रारम्भ होने की तिथि से पहले अनुमोदन के लिए संबंधित अभियंता को भेजे जाएंगे।<br>(ओएम के पैरा 9.3.1 और अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 13) | नौ नमूना जिलों में 254 सड़क परियोजनाएं, ₹1,031.35 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गई थी, जिस पर वर्ष 2013-18 के दौरान ₹514.62 करोड़ का व्यय किया गया था, ठेकेदारों से कोई भी बीमा पॉलिसी और प्रमाण पत्र लिए बिना उन्हें ₹935.96 करोड़ की लागत से ठेका दे दिया गया था। | ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि बीमा कवर से संबन्धित मामलों को ठेकेदारों के साथ कार्य शुरू होने से पहले उठाया जाएगा। |

[3] जुलाई 2012 में चरण-VIII: 59; दिसंबर 2012 में चरण-IX: 17

| क्रम सं. | अनियमितता की प्रकृति | दिशा निदेशों के अनुसार आवश्यकता | लेखापरीक्षा आपत्तियाँ | विभाग का उत्तर |
|---|---|---|---|---|
| 5. | मोबिलाइजेशन और उपकरण अग्रिम की वसूली न होना | कार्य आदेश जारी होने की तारीख के पश्चात 10 दिनों के भीतर ठेकेदार द्वारा श्रमिक, सामग्री और मशीनरी को जुटाना आवश्यक है। (ओएम का पैरा 9.4)<br>इसके अलावा, अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 45 में यह प्रावधान है कि नियोक्ता ठेकेदार को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन एडवांस (अनुबंध लागत का पांच प्रतिशत) और उपकरण अग्रिम (लागत का 90 प्रतिशत तक) देगा। इन अग्रिमों को ठेकेदार को देय भुगतान से आनुपातिक मात्रा में कटौती करके वापस लिया जाएगा। | नौ नमूना जिलों में से छह में, आठ सड़क परियोजनाओं के संबंध में (फरवरी 2009 से दिसंबर 2017 में) स्वीकृत ₹133.89 लाख में से, ₹46.52 लाख [4] का मोबिलाइजेशन/ मशीनरी अग्रिम, उन ठेकेदारों से (मार्च 2018 तक) वसूल नहीं किया गया था जिनकों आवंटित की गई परियोजनाएं या जिनके अनुबंध जून 2014 से जून 2017 के दौरान समाप्त/ बंद किए गए थे। | ईई ने (मार्च से जून 2018) कहा कि डिवीजन ने ठेकेदारों के चालू बिलों से मोबिलाइजेशन/ मशीनरी अग्रिम में कटौती कर दी है और बकाया राशि पीआईयू के पास पड़े ठेकेदारों की सिक्योरिटी डिपॉजिट/ परफॉरमेंस सिक्योरिटी से काट ली जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के बंद होने/ पूरा होने के पश्चात ठेकेदारों को अग्रिमों को पास रखने की अनुमति दी गई थी। |
| 6. | बैंक गारंटियों का सत्यापन/ नवीनीकरण न किया जाना | पीएमजीएसवाई लेखा नियमावली के पैरा 13.2 में निर्धारित है कि बैंक गारंटी को स्वीकार करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के सीधे बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी की प्रामाणिकता की पुष्टि करे।<br>इसके अलावा, मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के खंड 32 में परिकल्पना की गई है कि स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर परफॉरमेंस सिक्योरिटी को सफल बोलीदाता द्वारा नियोक्ता के नाम से किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बिना शर्त बैंक गारंटी या फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद के रूप में दिया जाएगा। बैंक गारंटी निर्माण अवधि तथा काम पूरा होने के बाद पांच साल के लिए वैध होनी चाहिए। | • लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक-गारंटियों की पुष्टि किसी भी मामलों की जांच-परीक्षण में संलग्न नहीं पाई गई।<br>• 254 सड़क निर्माण कार्यों के अभिलेखों/ अलोटमेंट फ़ाइलों कि संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि चार मामलों में निर्माण अवधि के दौरान ₹46.02 लाख की बैंक गारंटी की वैधता समाप्त हो चुकी थी या फिर उनको पुनः वैध नहीं किया गया था। | |

[4] जम्मू: ₹2.12 लाख; रामबन: ₹9.63 लाख; गांदरबल: ₹11.26 लाख; अनंतनाग: ₹0.80 लाख; बारामूला: ₹2.17 लाख और कुपवाड़ा: ₹20.54 लाख

| क्रम सं. | अनियमितता की प्रकृति | दिशा निदेशों के अनुसार आवश्यकता | लेखापरीक्षा आपत्तियाँ | विभाग का उत्तर |
|---|---|---|---|---|
| 7. | अनुमोदित तकनीकी विशिष्टताओं से विचलन | तकनीकी संस्वीकृति के पश्चात, उसी रूप में कार्यों हेतु निविदा जारी की जाएगी तथा एनआरआरडीए के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। (ओएम का पैरा 8.2) | नौ नमूना जिलों की 57 सड़क परियोजनाओं में, एनआरआरडीए का अनुमोदन प्राप्त किए बिना विभिन्न मदों का क्रियान्वयन हेतु ₹23.51 करोड़ खर्च किये गए जो अनुमोदित मात्रा से 11 से 8121 प्रतिशत[5] अधिक रहा। | ईई ने (मार्च से जून 2018 में) कहा कि कार्यों का क्रियान्वयन साइट की स्थिति और अनुमोदित डीपीआर के अनुसार किया गया। जनता की मांगों को पूरा करने के लिए, परियोजना के कुछ घटकों को डीपीआर में दर्ज मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा में क्रियान्वित करना पड़ा, परंतु आवंटित लागत के अंदर ही पूर्ण किया गया था। उत्तर को इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिए कि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुमोदित मात्रा से अधिक मदों को क्रियान्वित करने से पहले एनआरआरडीए की अनुमति मांगा जाना आवश्यक है। |
| 8. | साइनबोर्ड की स्थापना न करना | पीएमजीएसवाई के प्रतिकचिन्ह के साइनबोर्ड को कार्य आदेश की तारीख के 15 दिनों के भीतर लगाया जाना है। (ओएम का पैरा 8.14) | 54 जांच-परीक्षण किए गए मामलों में ऐसे किसी भी साइनबोर्ड को नहीं लगाया गया। | |
| 9. | परिसमापित क्षतियों (एलडी) का न लगाया जाना | ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर काम पूरा करने में विफल होने की स्थिति में प्रति सप्ताह प्रारंभिक अनुबंध मूल्य के एक प्रतिशत की दर से परिसमापित क्षतियों (एलडी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो कि प्रारंभिक अनुबंध मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत है। (ओएम का पैरा 9.10) | आठ नमूना जिलों[6] में 48 सड़क परियोजनाओं को ₹176.44 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया। ठेकेदारों ने दो महीने से छह साल और दो महीने के बीच की देरी से काम पूरा किया। इस देरी के लिए ठेकेदारों पर ₹17.64 करोड़ की राशि एलडी का आरोपण नहीं किया गया। | मुख्य अभियंता, पीएमजीएसवाई ने (अप्रैल 2019 में) कहा कि विभाग ने निर्धारित तिथि से परे काम पूरा करने में देरी के लिए ठेकेदारों पर एलडी आरोपण की प्रक्रिया शुरू की थी। |

5 ड्राइंग और तकनीकी विनिर्देश के अनुसार खुदाई की गई भूमि की खाइयों को भरने के लिए 49 घन मीटर के काम के प्रति, 4028.22 घन मीटर की मात्रा रोनू से सुदगर तक सड़क निर्माण में पीआईयू उधमपुर द्वारा वास्तव में क्रियान्वित की गई थी

6 जम्मू: 2; उधमपुर: 3; रामबन: 3; गांदरबल: 6; अनंतनाग: 12; बारामूला: 4; कुपवाड़ा: 15 तथा लेह: 3

| क्रम सं. | अनियमितता की प्रकृति | दिशा निदेशों के अनुसार आवश्यकता | लेखापरीक्षा आपत्तियाँ | विभाग का उत्तर |
|---|---|---|---|---|
| 10. | प्रतिभूति जमा और निष्पादन प्रतिभूति को समय पूर्व जारी करना | मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) का खण्ड 43.2 में निर्माण कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने पर प्रतिभूति जमा[7] और निष्पादन प्रतिभूति [8] मुक्त करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित है जोकि इस शर्त के अधीन है कि अभियंता ने प्रमाणित किया है कि अभियंता द्वारा ठेकेदार को अधिसूचित किए गए सभी दोषों को ठेकेदार द्वारा पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित अवधि से पहले ठीक कर दिया गया है। | नौ नमूना जिलों में से, आठ जिलों[9] में 43 सड़क परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, ₹6 करोड़ की प्रतिभूति जमा और ₹0.68 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति, एक महीने से चार साल की अवधि के लिए नियत तारीखों से पहले जारी की गई थी, इस प्रकार ठेकेदार को दोष देयता अवधि से पहले सिक्योरिटी को मुक्त करके अनुचित लाभ दिया गया। | ईई ने (मार्च जून 2018 में) कहा कि निर्देशों को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है। |

*(स्रोत: पीआईयू नमूनों के अभिलेख)*

7 निर्माण कार्य के संतोषजनक रूप से पूरे होने पर प्रतिभूति जमा के रूप में रखी गई कुल राशि का आधा हिस्सा चुकाना होता है, 2 वर्ष के अंत में कुल राशि का एक चौथाई और शेष राशि तीसरे वर्ष के पूरा होने के बाद चुकानी होती है अथवा दोष देयता अवधि पूरी होने के पश्चात चरण-I के मामले में तीन साल और स्टेज-II के मामले में पांच साल (एसबीडी के खंड 43.4)

8 निष्पादन प्रतिभूति को दोष देयता अवधि के समापन के पश्चात मुक्त किया जाता है।

9 उधमपुर: 11; रामबन: 3; राजौरी: 2; गांदरबल: 6; अनंतनाग: 7; बारामूला: 4; कुपवाड़ा: 8 तथा लेह: 2

## परिशिष्ट-2.2.7

**(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.9.4; पृष्ठ: 92)**

**नमूना जिलों में परीक्षण-जाँच कार्यों के एसक्यूएम के निरीक्षण को दर्शाने वाला विवरण**

| क्रम सं. | जिला | पीआईयू | सड़क परियोजनाओं की संख्या | एसक्यूएम द्वारा की गई जांच का विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | शून्य | एक | दो | तीन | तीन से अधिक |
| 1. | जम्मू | जम्मू | 07 | - | 02 | - | 02 | 03 |
| 2. | उधमपुर | उधमपुर | 11 | 01 | 02 | 04 | 04 | 0 |
| | | रामनगर | 14 | - | 03 | 03 | 04 | 04 |
| 3. | रामबन | रामबन | 06 | - | - | - | 04 | 02 |
| | | बनिहाल | 02 | - | 01 | 01 | 0 | 0 |
| 4. | राजौरी | राजौरी | 11 | 01 | 01 | 01 | 05 | 03 |
| | | बुढ़ल | 10 | 01 | 02 | 06 | 01 | 0 |
| 5. | गांदरबल | गांदरबल | 11 | - | - | 02 | 05 | 04 |
| 6. | अनंतनाग | अनंतनाग | 18 | - | 05 | 08 | 01 | 04 |
| 7. | बारामूला | बारामूला | 01 | - | - | - | 0 | 01 |
| | | उरी | 04 | - | - | - | 01 | 03 |
| 8. | कुपवाड़ा | कुपवाड़ा | 19 | - | 03 | 06 | 03 | 07 |
| | | हंदवाड़ा | 03 | - | - | - | 0 | 03 |
| 9. | लेह | लेह | 03 | - | 01 | - | 01 | 01 |
| | | **कुल** | **120** | **03** | **20** | **31** | **31** | **35** |

*(स्रोत: नमूना पीआईयू के अभिलेख)*

## परिशिष्ट-2.2.8
## (संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.10; पृष्ठ: 96)
## ओएमएमएएस सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल

| क्रम सं. | मॉड्यूल का नाम | मॉड्यूल का विवरण |
|---|---|---|
| I | मास्टर डाटा मॉड्यूल | जिलों, निर्वाचकों, खंडों, गाँव, प्रवास क्षेत्रों, पंचायतों, सड़कों तथा ठेकेदारों इत्यादि से संबन्धित मास्टर डाटा |
| II | कोर नेटवर्क (ग्रामीण सड़क योजना) | जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) सड़क डेटा (राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)/ राज्य राजमार्ग (एसएच)/ प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर)/ ग्रामीण सड़क/ लिंक मार्ग/ सीधे मार्गों का वर्गीकरण) से संबंधित डेटा |
| III | प्रस्ताव मॉड्यूल | कोर नेटवर्क से सड़क लिंक के चयन के आधार पर प्रस्ताव |
| IV | टेंडरिंग मॉड्यूल | टेंडरिंग डाटा, ठेकेदार को प्रदान किए गए का विवरण |
| V | क्रियान्वयन मॉड्यूल | कार्यों की प्रगति (वास्तविक/ वित्तीय) |
| VI | ऑनलाइन फंड प्रोसेसिंग | एसआरआरडीए से मंत्रालय को धन के लिए प्रसंस्करण अनुरोध को राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी आवश्यक और प्रासंगिक जानकारी जमा करके एमओआरडी से अनुरोध किया जाता है। मंत्रालय के परियोजना और वित्त विभागों से दोहरी मंजूरी के पश्चात, राज्य को स्वीकृत राशि और जारी की गई राशि को निर्दिष्ट करते हुए स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है। |
| VII | गुणवत्ता निगरानी मॉड्यूल | राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर्स (एनक्यूएम) द्वारा किए गए गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) निरीक्षण के संबंध में डेटा |
| VIII | प्राप्ति तथा भुगतान मॉड्यूल | प्रत्येक सड़क कार्य के प्रति वर्गीकृत व्यय से संबन्धित वित्तीय डाटा |
| IX | रख रखाव मॉड्यूल | पाँच वर्षों का वास्तविक तथा वित्तीय डाटा |
| X | सुरक्षा तथा प्रशासन मॉड्यूल | उपयोगकर्ताओं की रचना, भूमिकाओं के निर्माण, उपयोगकर्ताओं को भूमिकाओं के काम तथा भूमिका के मेन्यू की मैपिंग में मदद करता है |
| XI | ग्रामीण सड़कों के लिए दरों का विश्लेषण (एआरआरआर) | ग्रामीण सड़कों के लिए दरों का विश्लेषण (एआरआरआर) मॉड्यूल विभिन्न मदों के लिए शेड्यूल ऑफ रेट्स को बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है। शेड्यूल ऑफ रेट्स (एसओआर) भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रकाशित "ग्रामीण सड़कों के लिए विनिर्देश" से प्राप्त कार्य की विभिन्न मदों के विश्लेषण पर आधारित थी। |

| क्रम सं | मॉड्यूल का नाम | मॉड्यूल का विवरण |
|---|---|---|
| XII | प्राप्ति तथा भुगतान बैंक मॉड्यूल | बैंक मॉड्यूल का उपयोग बैंक कर्मियों द्वारा किया जाता है, जहां पर पीएमजीएसवाई कार्यों से संबंधित एसआरआरडीए का खाता हो। उस राज्य के डीपीआईयू द्वारा ठेकेदारों को जारी किए गए चेक या डीपीआईयू द्वारा उत्पन्न ई-भुगतान निर्देश यहाँ सूचीबद्ध हैं। जब बैंक किसी वाउचर से संबंधित चेक/ ई-भुगतान को मंजूरी देता है, तो बैंक प्राधिकरण लॉगिन करता है और उसका मिलान करता है और यह डीपीआईयू और एसआरआरडीए रिपोर्ट में प्रतिबिम्बित होता है। |
| XIII | डाटा अंतराल | प्रतिवेदन अनुभाग के तहत प्रस्तावों की प्रविष्टि में डेटा अंतराल को देखने का प्रावधान है। |
| XIV | उपयोगकर्ता मैनुअल का अद्यतन | उपयोगकर्ता पुस्तिका अद्यतित है और लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध है। उपयोगकर्ता मैनुअल में ओएमएमएएस में नवीनतम संवर्द्धन संलग्नक के रूप में प्रदान किए गए हैं। |

*(स्रोत: ओएमएमएएस मॉड्यूल)*

## परिशिष्ट-2.2.9

### (संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.10; पृष्ठ: 97)

### तुलन पत्रों में दर्शाये गए व्यय तथा अपलोड किए गए व्यय में अंतर

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | पूर्ण नई सड़कों पर व्यय | | प्रगतिशील नई सड़कों पर व्यय | | पूर्ण नई सड़कों के उन्नयन पर व्यय | | प्रगतिशील सड़कों के उन्नयन पर व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सीए बी/एस | ओएमएमएएस | सीए बी/एस | ओएमएमएएस | सीए बी/एस | ओएमएमएएस | सीए बी/एस | ओएमएमएएस |
| 2013-14 | सीवाई-<br>998.07<br>पीवाई-<br>390.29 | सीवाई-<br>333.37<br>पीवाई-<br>215.37 | सीवाई-<br>1,124.87<br>पीवाई-<br>1,288.66 | सीवाई-<br>1,792.61<br>पीवाई-<br>1,445.59 | सीवाई-<br>93.24<br>पीवाई-<br>35.58 | सीवाई-<br>59.99<br>पीवाई-<br>46.75 | सीवाई-<br>237.64<br>पीवाई-<br>237.69 | सीवाई-<br>253.87<br>पीवाई-<br>218.93 |
| 2014-15 | सीवाई-<br>1,245.02<br>पीवाई-<br>998.07 | सीवाई-<br>449.23<br>पीवाई-<br>333.37 | सीवाई-<br>1,294.77<br>पीवाई-<br>1,124.87 | सीवाई-<br>2,085.64<br>पीवाई-<br>1,792.61 | सीवाई-<br>163.84<br>पीवाई-<br>93.24 | सीवाई-<br>75.08<br>पीवाई-<br>59.99 | सीवाई-<br>191.01<br>पीवाई-<br>237.64 | सीवाई-<br>255.91<br>पीवाई-<br>253.87 |
| 2015-16 | सीवाई-<br>1,517.82<br>पीवाई-<br>1,245.02 | सीवाई-<br>564.95<br>पीवाई-<br>449.23 | सीवाई-<br>1,213.08<br>पीवाई-<br>1,294.77 | सीवाई-<br>2,223.32<br>पीवाई-<br>2,085.64 | सीवाई-<br>233.60<br>पीवाई-<br>613.84 | सीवाई-<br>105.34<br>पीवाई-<br>75.08 | सीवाई-<br>173.23<br>पीवाई-<br>191.01 | सीवाई-<br>233.34<br>पीवाई-<br>255.91 |
| 2016-17 | सीवाई-<br>1,895.40<br>पीवाई-<br>1,517.82 | सीवाई-<br>1,495.58<br>पीवाई-<br>564.95 | सीवाई-<br>1,229.00<br>पीवाई-<br>1,213.08 | सीवाई-<br>1,593.64<br>पीवाई-<br>2,223.32 | सीवाई-<br>290.95<br>पीवाई-<br>233.60 | सीवाई-<br>238.03<br>पीवाई-<br>105.34 | सीवाई-<br>145.36<br>पीवाई-<br>173.23 | सीवाई-<br>114.50<br>पीवाई-<br>233.34 |

*(सीए बी/एस- सनदी लेखाकार तुलन पत्र, सीवाई- वर्तमान वर्ष, पीवाई- पिछला वर्ष)*

*(स्रोत: ओएमएमएएस/ सनदी लेखाकार तुलन पत्र)*

## परिशिष्ट-3.1.1

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.1; पृष्ठ: 102)**

**एसकेयूएएसटी-जम्मू के अंतर्गत अनुसंधान स्टेशनों/ केन्द्रों की सूची**

**(₹ लाख में)**

| क्रम सं | अनुसंधान स्टेशन का नाम | केंद्र में क्रियाशील परियोजना का नाम | फंडिंग एजेंसी/ योजना | प्रारम्भ होने की तिथि | पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि | बजट | नवम्बर 2018 तक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | एडवांस सेंटर फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर (एसीआरए), ढींसर | नए जीन पूल का संश्लेषण के अनुगामी बीमारी के अंतःक्षेपण और द्वितीयक (फासीयोलस एक्यूटिफोलियस एल) जीन पूल से विकसित फासीयोलस वल्गेरिस में शुष्कता टोलरेंस। | विज्ञान तथा अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 | मार्च 2017 | जारी | 40.00 | 20.95 |
| | | शुष्क भूमि कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) | शुष्क भूमि कृषि पर अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीडी) शुष्क भूमि कृषि हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, हैदराबाद | 1972 | जारी | 122.14 | 84.16 |
| | | जलवायु परिवर्तन कृषि पर राष्ट्रीय पहल (एनआईसीआरए) | सीआरआईडीए, आईसीएआर, हैदराबाद | 2011 | जारी | आवश्यकता के अनुसार वार्षिक बदलाव | 65.57 |
| | | जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफ़सीसी) | पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ़), कृषि निदेशालय जम्मू (डीएजे) के माध्यम से भारत सरकार | फरवरी 2017 | मार्च 2018 में बंद | 10.00 | 10.00 |

| क्रम सं | अनुसंधान स्टेशन का नाम | केंद्र में क्रियाशील परियोजना का नाम | फंडिंग एजेंसी/ योजना | प्रारम्भ होने की तिथि | पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि | बजट | नवम्बर 2018 तक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | रेनफेड हॉर्टीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, राया | वर्तमान में रेनफेड हॉर्टिकल्चरल रिसर्च सब-स्टेशन, राया में कोई बाह्य वित्त पोषित परियोजना नहीं है। हालांकि, केंद्र के पास सूखा सहिष्णु फलों पर व्यवस्थित अनुसंधान करने और वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त खेती करने, मिट्टी की नमी के संरक्षण आदि के लिए एक विशिष्ट अधिदेश है और यह कार्यशील है। | | | | | |
| 3. | क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन, राजौरी | एग्रो-मेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट (एएमएफ़यू), ग्रामीण कृषि मौसम सेवा | भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | 2007 | जारी | 9.14 | 4.62 |
| 4. | रिजनल हॉर्टीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, भदरवाह | तापक्रमी फल की फसलों के लिए पारिस्थितिकी के आउटरीच पर नेटवर्किंग परियोजना | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) | 2009 | जारी | वार्षिक लगभग 5.00 लाख | 26.30 |
| | | जलवायु परिवर्तन कृषि (एनआईसीआरए) में राष्ट्रीय नवाचार - सामरिक अनुसंधान | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) | सितंबर 2017 | जारी | 1.60 | 1.33 |
| 5. | दलहन अनुसंधान उप-स्टेशन, सांबा | चिक्कपी अनुसंधान सांबा पर एआईसीआरपी | अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) | 1995 | जारी | 39.22 | 29.89 |
| 6. | मक्का अनुसंधान केंद्र, उधमपुर* | मक्का पर एआईसीआरपी | एआईसीआरपी | 2006 | मार्च 2018 में बंद | 47.76 | 37.61 |

| क्रम सं | अनुसंधान स्टेशन का नाम | केंद्र में क्रियाशील परियोजना का नाम | फंडिंग एजेंसी/ योजना | प्रारम्भ होने की तिथि | पूर्ण होने की अपेक्षित तिथि | बजट | नवम्बर 2018 तक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | एडवांस सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च, उधायवाला | बागवानी के लिए उत्कृष्ट केंद्र (फल) | बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) | 2015 | जारी | 78.00 | 78.00 |
| | | स्ट्रॉबेरी और कार्नेशन प्लांटलेट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए टिशू कल्चर लैब की स्थापना | एमआईडीएच | 2015 | जारी | 121.70 | 120.17 |
| | | कृषि समुदाय के भोजन और आजीविका सुरक्षा के लिए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण को बढ़ावा देना | एमआईडीएच | जनवरी 2016 | जारी | 6.51 | 4.30 |
| 8. | मक्का प्रजनन अनुसंधान उप-स्टेशन, पुंछ | मक्का सुधार कार्यक्रम | (आईसीएआर) | 2012 | जारी | 0.60 | 0.14 |

*(*स्टेशन मार्च 2018 में बंद किया गया)*

*(स्रोत: अनुसंधान निदेशालय के अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.1.2

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.1; पृष्ठ: 102)**

**विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं (दीर्घावधि/ तदर्थ) का ब्योरा दर्शाता विवरण**

| क्रम सं | फंडिंग एजेंसी का नाम | 1 अप्रैल 2014 तक चालू परियोजनाएं | 2014-18 के दौरान ली गई परियोजनाएं | कुल | 2014-18 के दौरान पूर्ण की गई परियोजनाएं | छोड़ी गई परियोजनाएं | 31 मार्च 2018 तक चालू परियोजनाएं | परियोजनाओं की प्रकृति | | लघु अवधि परियोजनाएं | दीर्घ अवधि परियोजनाएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | प्रयोगिक | मौलिक | | |
| 1. | अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना (आईसीएआर: 75 प्रतिशत; राज्य का हिस्सा: 25 प्रतिशत) | 22 | 10 | 32 | 6 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 2. | जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (आईसीएआर: 100 प्रतिशत) | 8 | 14 | 22 | 8 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 3. | विज्ञान तथा तकनीकी विभाग (आईसीएआर: 100 प्रतिशत) | 10 | 18 | 28 | 10 | 1 | 17 | 10 | 7 | 17 | 0 |
| 4. | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर: 100 प्रतिशत) | 7 | 12 | 19 | 5 | 0 | 14 | 13 | 1 | 8 | 6 |
| 5. | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आईसीएआर: 100 प्रतिशत) | 1 | 17 | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |

| क्रम सं | फंडिंग एजेंसी का नाम | 1 अप्रैल 2014 तक चालू परियोजनाएं | 2014-18 के दौरान ली गई परियोजनाएं | कुल | 2014-18 के दौरान पूर्ण की गई परियोजनाएं | छोड़ी गई परियोजनाएं | 31 मार्च 2018 तक चालू परियोजनाएं | परियोजनाओं की प्रकृति | | लघु अवधि परियोजनाएं | दीर्घ अवधि परियोजनाएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | प्रयोगिक | मौलिक | | |
| 6. | कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (आईसीएआर: 100 प्रतिशत) | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 7. | बागवानी तकनीकी मिशन मोड / बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (आईसीएआर: 100 प्रतिशत) | 5 | 12 | 17 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8. | अन्य | 8 | 14 | 22 | 11 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| | **कुल** | **62** | **106** | **168** | **66** | **4** | **98**[10] | **80** | **18** | **66** | **32** |

*(स्रोत: अनुसंधान निदेशालय के अभिलेख)*

[10] कृषि: 81; पशु चिकित्सा: 13; बागवानी: 4

## परिशिष्ट-3.1.3

## (संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.1; पृष्ठ: 102)

## एसकेयूएएसटी जम्मू का संगठनात्मक ढांचा

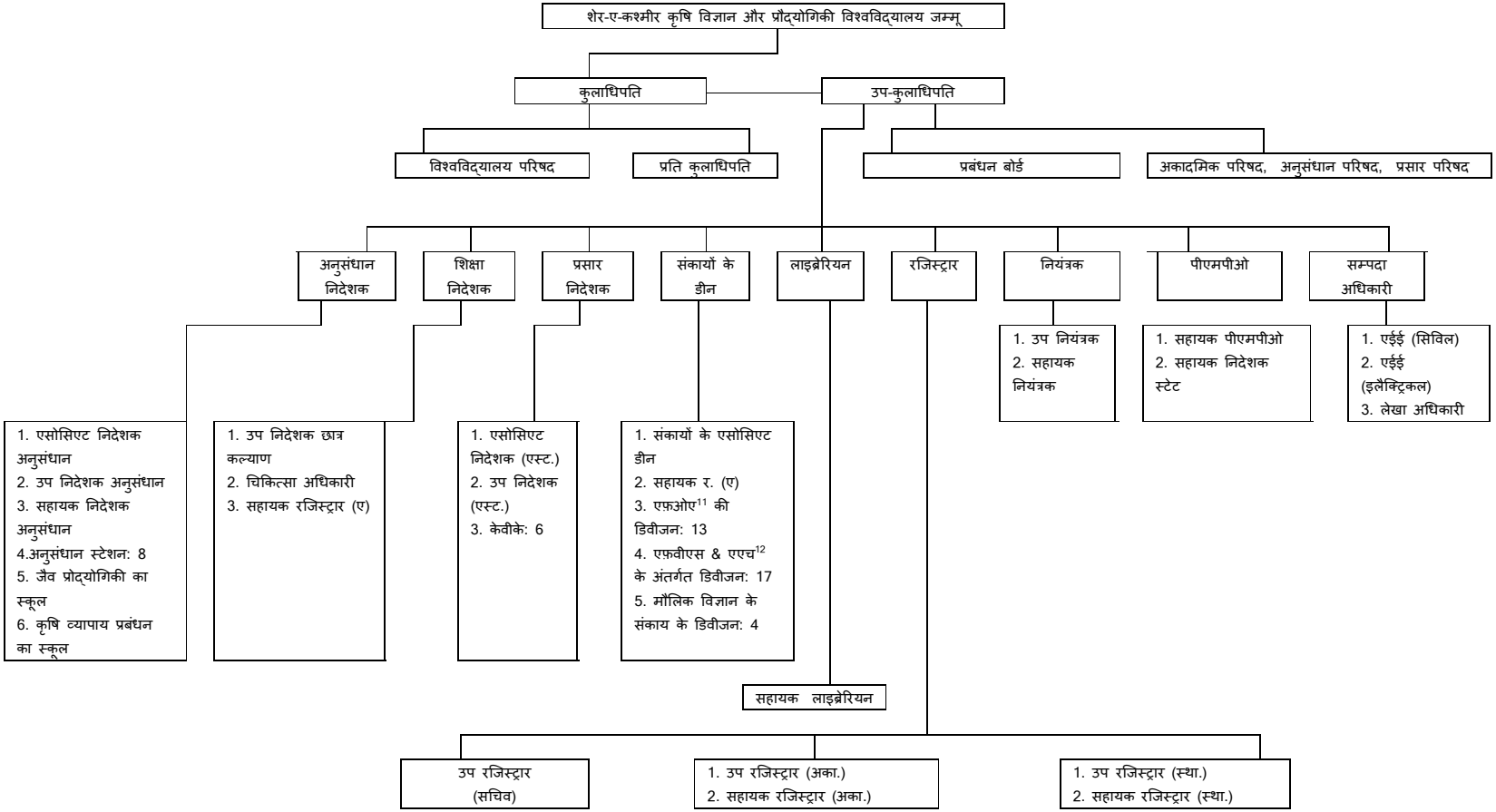


*(स्रोत: प्रभाव आकलन रिपोर्ट)*

---

11 एफ़ओए: कृषि का संकाय

12 एफ़वीएस तथा एएच: पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन का संकाय

## परिशिष्ट-3.1.4

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.3; पृष्ठ: 105)**

**परियोजनाओं के चयन हेतु फ्लो चार्ट**

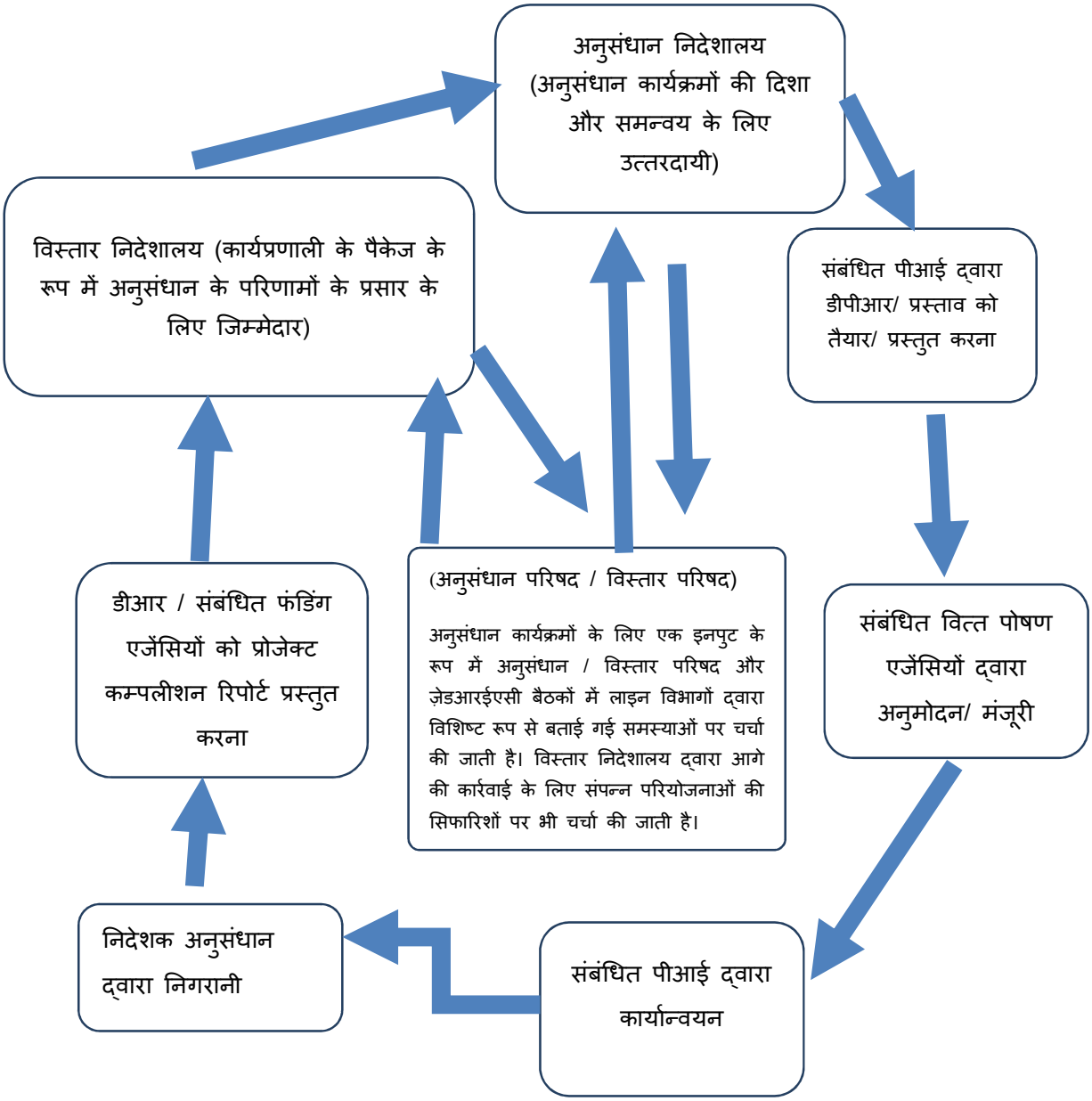


- ज़ेडआरईएसी: जोनल रिसर्च एंड एक्सटेंशन एडवाइजरी कमेटी
- पीआई: मुख्य अन्वेषक

*(स्रोत: विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन)*

## परिशिष्ट-3.1.5

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.3; पृष्ठ: 105)**

**2011-12 और 2017-18 के बीच लाइन विभागों द्वारा उजागर किए मुद्दों का ब्यौरा दिखाता विवरण**

| क्रम सं | विशेष रूप से दर्शाए मामले | ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ | निदान किए गए/ लंबित मामले | शाखा |
|---|---|---|---|---|
| **रोग/ कीट प्रबंधन डिवीजन** | | | | |
| 1. | गेहूं में पीले जंग के प्रकोप से रोकथाम में महत्वपूर्ण तकनीकी खोज | दिनांक 20-21 मई 2011, की 12वीं आरसीएम, दिनांक नवंबर 2015 की 15वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 2. | गेहूं की पाला प्रतिरोधी प्रजातियां | दिनांक नवंबर 2015 की 15वीं आरसीएम 2015 की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 3. | पीले जंग का शमन करने के लिए अधिक रसायन का समावेशन जो कि पौधा सुरक्षा रसायन की एकमात्र विशेषता है, पीले जंग (प्रोपिकोनाज़ोल) का प्रतिरोध बढ़ रहा है जैसा कि किसानों ने रिपोर्ट किया है | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 4. | कांडी बेल्ट के सामान्य बुवाई वाले अनुपजाऊ क्षेत्रों के लिए पीले जंग प्रतिरोधी गेहूं की प्रजातियों का विकास तथा जीन परिनियोजन सम्मिलित द्वारा पूर्णतावादी प्रबंधन योजना का विकास, पैथोजेन प्रजातियों की पहचान इत्यादि | रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की बैठक तथा 17वीं अनुसंधान परिषद की दिनांक 20 मार्च 2018 की बैठक की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 5. | पोड़ बोरर हमले तथा मुरझाने की प्रतिरोधात्मक क्षमता वाले चने की प्रजातियों का विकास | रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की बैठक की कार्यवाही | लंबित | कृषि |

| क्रम सं | विशेष रूप से दर्शाए मामले | ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ | निदान किए गए/ लंबित मामले | शाखा |
|---|---|---|---|---|
| 6. | किसानों की मदद तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु रोग प्रबंधन के लिए आकस्मिक योजना का विकास | दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 7. | उपयोग की गई दवाइयों के प्रति प्रतिरोधन का विकास जोकि पशुओं के प्रजनन को प्रभावित करता है तथा किसानों के घाटे का कारण होता है | 17वीं आरसीएम दिनांक 20 मार्च 2018 को आयोजित की गई। | लंबित | पशु पालन |
| 8. | क्षेत्रीय परिस्थितियों में चिचड़ी पर्याक्रमणों तथा दवाई प्रतिरोधन की समस्या पर ज़ोर देना। हिस्सेदारों के बीच आर्थिक घाटे को कम करने के लिए चिचड़ी पर्याक्रमणों के नियंत्रण हेतु नई दवाइयों के सुझाव | 17वीं आरसीएम दिनांक 20 मार्च 2018 को आयोजित की गई। | लंबित | पशु पालन |
| 9. | डेयरी पशुओं में "एक्टोपैरासाइट्स" का प्रबंधन | 7वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 18 मई 2015 की बैठक की कार्यवाही | लंबित | पशु पालन |
| 10. | मादा बांझपान की समस्या से निपटना जिससे की ब्यांत अवधि कम की जा सके और डेयरी पशुपालन एक मुनाफे वाला उपक्रम बन सके। | दिनांक 21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम | लंबित | पशु पालन |
| 11. | आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रोगों की समस्या का निदान | दिनांक 21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम | लंबित | पशु पालन |
| 12. | ब्रूसेल्लोस, लिस्टेरिओसिस, ट्यूबरकुलोसिस, फूट रोट, एफ़एमडी इत्यादि रोगों का नियंत्रण तथा उन्मूलन | दिनांक 21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम | लंबित | पशु पालन |
| 13. | एसीएचडी रामबन में जून-जुलाई के महीने में कीवी की नश्वरता को कम करने हेतु योजना। | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक | लंबित | बागवानी |
| 14. | आलू क्षेत्रों में नीमटोड समस्या का प्रभावी नियंत्रण तथा जैव बासमती का सार्वजनिकीकरण | 20 मार्च 2019 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही | निदान किया गया | कृषि |

| क्रम सं | विशेष रूप से दर्शाए मामले | ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ | निदान किए गए/ लंबित मामले | शाखा |
|---|---|---|---|---|
| 15. | कठुआ जिले में किश्तवाड़ और बानी में अखरोट घुन हेतु प्रबंधन अभ्यास | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| **नई प्रजातियों के विकास/ प्रस्तुतीकरण डिवीजन** | | | | |
| 1. | तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंजाब के पैटर्न पर हयोला जैसे सफ़ेद सरसों तथा सरसों हाइब्रिड का प्रस्तुतीकरण | रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की बैठक की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 2. | विश्वविद्यालय द्वारा मक्का की उन्नत मिश्र किस्में/ हाइब्रिड का विकास जोकि निजी बहुराष्ट्रीय हाइब्रिड से सस्ती हों। | खरीफ 2015 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 11 मई 2015 की बैठक की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 3. | बासमती की प्रकाशसुग्राही किस्म का विकास | दिनांक नवंबर 2015 की 15वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 4. | तिलहन तथा दालों की नई क़िस्मों का विकास | दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 5. | जम्मू डिवीजन के विभिन्न एग्रो-क्लाइमैटिक ज़ोन में कीवी का प्रस्तुतीकरण | 9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | लंबित | बागवानी |
| 6. | सफल पौधरोपण की सिफ़ारिश तथा लीची पौधरोपण की उत्तरजीविता | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 7. | हानिकारक बंदरों के ख़तरे से किसानों की रक्षा के लिए नकदी फसल के विकल्प के रूप में अदरक तथा हल्दी की ग्रीष्म बुवाई के स्थानीय चयन का विकास | रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की 15 दिसंबर 2016 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |

| क्रम सं | विशेष रूप से दर्शाए मामले | ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ | निदान किए गए/ लंबित मामले | शाखा |
|---|---|---|---|---|
| 8. | जम्मू डिवीजन के कांडी क्षेत्र में बेर की उन्नत क़िस्मों का प्रस्तुतीकरण | 9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 9. | मिड हिल्स में विभिन्न फल फसलों जैसे अनारदाना, फालसा इत्यादि का प्रस्तुतीकरण | 9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 10. | जम्मू रीजन के लिए उपयुक्त क्षेत्र विशेष मुख्य उन्नत फल फसल किस्में की सूची प्रदान करना | 9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| **बीज/ पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता** | | | | |
| 1 | विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड बीजों की क़िस्मों का उपयुक्त मात्रा में बहुलीकरण | 20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 2 | गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री की निश्चित उपलब्धता तथा पॉली बैग में उगाये गए बागवानी पौधे | 9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | लंबित | बागवानी |
| 3 | पहाड़ी क्षेत्रों जैसे गिज़ा और के-448 के लिए पारंपरिक धान की क़िस्मों के बीज की उपलब्धता | खरीफ 2015 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 11 मई 2015 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | कृषि |
| 4 | ऊतक संवर्धित केसरी बीज कॉर्न का उत्पादन | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 5 | बिक्री केन्द्रों पर गुणवत्ता वाले फलों के पौधों का प्रावधान | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |

| क्रम सं | विशेष रूप से दर्शाए मामले | ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ | निदान किए गए/ लंबित मामले | शाखा |
|---|---|---|---|---|
| 6 | उप उष्णकटिबंधी तथा समशीतोष्ण फलों जैसे आड़ू, बेर, सेब, आम तथा अमरूद की उच्च घनत्व तथा कम ठंडी क़िस्मों की उपलब्धता | रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की 15 दिसंबर 2016 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 7 | जम्मू डिवीजन की समशीतोष्ण ज़ोन नर्सरियों के लिए सेब के क्लोनल रूटस्टोक की आपूर्ति तथा बहुलीकरण के लिए तकनीकी ज्ञान | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| **तकनीकी/ आधारभूत संरचना/ संभार तंत्र सहयोग डिवीजन** | | | | |
| 1 | वातावरण प्रतिरोधकक्षमतापूर्ण कृषि विशेषत: यथावत आर्द्रता संरक्षण का विकास, परिरक्षित चारा निर्माण, चारे के स्रोतों तथा कृषि विभाग के साथ नजदीकी समन्वयन में एकीकृत कृषि प्रणाली का निर्माण | खरीफ 2015 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 11 मई 2015 की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 2 | वातावरण प्रतिरोधकक्षमतापूर्ण क़िस्मों का विकास | 20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 3 | जम्मू प्रांत के अंतर्गत जुताई के लिए बासमती चावल की किस्मों की जैविक रूप द्वारा नाइट्रोजन की आवश्यकता का मानकीकरण और सिफ़ारिश | 20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 4 | प्रविष्टियों की नकल किए जाने के बिना चावल के जीन पूल का संरक्षण | दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 5 | बासमती क्लस्टर में जैविक चावल उत्पादन में सहयोग प्रदान करना तथा उपयुक्त कदमों को अपनाना | खरीफ 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 25 मई 2016 की बैठक की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 6 | आर.एस.पुरा बासमती की आनुवांशिक पहचान, शुद्धता (नमूने विभाग द्वारा प्रदान किए जाने थे) तथा रखरखाव की डीएनए जांच | खरीफ 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 25 मई 2016 की 12वीं आरसीएम, 20-21 मई 2011 की बैठक की कार्यवाही | लंबित | कृषि |

| क्रम सं | विशेष रूप से दर्शाए मामले | ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ | निदान किए गए/ लंबित मामले | शाखा |
|---|---|---|---|---|
| 7 | भूमि प्रजाति तथा स्थानीय जननद्रव जैसे कि भदरवाह रज्मश तथा आर.एस.पुरा बासमती सहित पौधों की क़िस्मों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। | 20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 8 | बासमती चावल में सुगंध की पहचान तथा सुगंध हेतु उत्तरदायी जीन की पहचान के लिए अनुसंधान कार्य | दिनांक 12 सितंबर 2013 की 14वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 9 | भदरवाही रज्मश का डीएनए फिंगर प्रिंटर | दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 10 | रज्मश का आणविक वर्णन | खरीफ 2015 के लिए ज़ेडआरईएसी दिनांक 11 मई 2015 की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 11 | विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बताई गई जीआईएस आधारित मृदा उर्वरता मानचित्र की उपलब्धता विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की जानी है। | दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 12 | शुष्क भूमि कृषि तथा आधुनिक जलसंभर के लिए परिवर्ती फसल प्रणाली का विकास | दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 13 | पहाड़ी तथा चट्टान संबंधी कृषि मशीनों की डिज़ाइनिंग/ आयात नमूने | 20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | कृषि |
| 14 | उपयुक्त बुवाई कलेंडर तथा आकस्मिक फसल योजना को कारगर बनाने के प्रभावी यंत्र के रूप में एसकेयूएएसटी-जे की कृषि मौसम विज्ञान शाखा द्वारा सभी जिलों के लिए खंड वार मौसम पूर्वानुमान | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | लंबित | कृषि |

| क्रम सं | विशेष रूप से दर्शाए मामले | ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ | निदान किए गए/ लंबित मामले | शाखा |
|---|---|---|---|---|
| 15 | मुर्गीपालन के मौसमी रोगों हेतु तकनीकी सहयोग तथा विश्वविद्यालय से उनके रोग निरोधी उपाय | 8वीं शिक्षा विस्तार परिषद की 29 मार्च 2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | लंबित | पशु पालन |
| 16 | एआई नेटवर्क पर डालने हेतु प्रजनन सांडो की उपलधता को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रजनन यंत्रों का प्रयोग | दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम | लंबित | पशु पालन |
| 17 | चारा संपन्नीकरण व पशु तथा मुर्गीपालन चारे में उपलब्ध स्थानीय चारा घटकों पर अनुसंधान ताकि किसानों को सस्ती दरों पर चारा तथा खनिज सम्पन्न चारा ब्लॉक उपलब्ध कराए जा सके। | दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम | लंबित | पशु पालन |
| 18 | जम्मू डिवीजन में अत्यंत-उच्च घनत्व के सेब के पौधरोपण की साध्यता और अनुकूलनशीलता तथा रूट स्टॉक सामग्री की सिफ़ारिश | 9वीं शिक्षा विस्तार परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | लंबित | बागवानी |
| 19 | मानकीकृत ऊतक समूह अभ्यास के साथ स्ट्रॉबेरी फल में गुणवत्ता सुधार | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | लंबित | बागवानी |
| 20 | जम्मू डिवीजन के विशिष्ट रीज़नों के लिए ड्रैगन फ्रूट/ खजूर जैसी फल प्रजातियों की उन्नत किस्मों का विकास | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | लंबित | बागवानी |
| 21 | अखरोट गिरी के मूल्य वर्धित उत्पाद | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | लंबित | बागवानी |
| 22 | सूखा और अधिक वर्षा के लिए उचित आकस्मिक योजना | 9वीं शिक्षा विस्तार परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | लंबित | बागवानी |

| क्रम सं | विशेष रूप से दर्शाए मामले | ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ | निदान किए गए/ लंबित मामले | शाखा |
|---|---|---|---|---|
| 23 | कांडी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त उर्वरता तकनीकों की सिफ़ारिश की जानी चाहिए | 20 मार्च 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | बागवानी |
| 24 | भेड़ में क्लेस्ट्रीडियल रोग के प्रबंधन हेतु क्लोस्ट्रीडीयम टीके को तैयार करना | 6वीं विस्तार परिषद की दिनांक 16 सितंबर 2013 बैठक एवं दिनांक 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | भेड़ पालन |
| 25 | खनिजों की पर्याप्त मात्रा सहित पशुधन की पूर्ति हेतु पोषक तत्वों का खनिज मानचित्रण | 6वीं विस्तार परिषद की दिनांक 16 सितंबर 2013 की बैठक एवं दिनांक मार्च 2018 की 17वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | भेड़ पालन |
| 26 | प्रत्येक जिले में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी और पशुधन का खनिज प्रोफाइल व पशुधन के लिए खनिजों की पूर्ति, जिनकी उस विशिष्ट क्षेत्र में कमी है। | 9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | लंबित | भेड़ पालन |
| 27 | निदान और रोग प्रतिरोध के लिए मार्कर आधारित तकनीक का विकास | 20 मार्च, 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम | लंबित | भेड़ पालन |
| 28 | स्थानीय नस्लों, लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे बकरवाल बकरी के आनुवंशिक लक्षण के वर्णन और संरक्षण, ईटीटी में सुधार, क्लोनिंग तकनीक आदि। | 20 मार्च, 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | भेड़ पालन |
| 29 | शीघ्र पहचान और उचित उपचार के लिए रोगों की शीघ्र, सटीक और सस्ते निदान / रिपोर्टिंग के लिए नैदानिक सुविधाओं का अद्यतन | 9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | लंबित | भेड़ पालन |
| 30 | जम्मू रीज़न में ऊन और मटन उत्पादन में सुधार हेतु प्रजनन उद्देश्य के लिए अच्छे भेड़ स्टॉक आयात करने का प्रयास | दिनांक 9 मार्च 2017 को अनुसंधान परिषद की 16वीं बैठक की कार्यवाही | लंबित | भेड़ पालन |

| क्रम सं | विशेष रूप से दर्शाए मामले | ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ | निदान किए गए/ लंबित मामले | शाखा |
|---|---|---|---|---|
| 31 | भेड़ पालन विभाग और एसकेयूएएसटी-जे द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भेड़ और बकरी की नियमित रखवाली, निगरानी और उनके रोगों का पता लगाने की आवश्यकता है। | 9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | लंबित | भेड़ पालन |
| 32 | गेंदा फसल में मूल्यवर्धन | रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की कार्यवाही | लंबित | पुष्पकृषि |
| 33 | वाणिज्यिक बागवानी फसलों की खेती में सूक्ष्म सिंचाई तकनीक | रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक दिनांक 15 दिसंबर 2016 की कार्यवाही | लंबित | पुष्पकृषि |
| 34 | गेंदे में मूल्यवर्धन की विधियाँ | दिनांक 29 मार्च, 2017 को 8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की कार्यवाही | लंबित | पुष्पकृषि |
| 35 | सूखे पौधे की अवधारणा का परिचय | 8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 29 मार्च, 2017 की कार्यवाही | लंबित | पुष्पकृषि |
| 36 | फसलोत्तर तकनीक का परिचय | 8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 29 मार्च, 2017 की कार्यवाही | लंबित | पुष्पकृषि |
| 37 | गेंदे की संरक्षित खेती का परिचय | 8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की दिनांक 29 मार्च, 2017 की कार्यवाही | लंबित | पुष्पकृषि |
| 38 | मिल्की मशरूम, बटन मशरूम और ढींगरी मशरूम हेतु लाइन विभागों की स्पोनिंग तकनीक के मानकीकरण के संबंध में प्रौद्योगिकी | खरीफ 2015 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 11 मई 2015 की कार्यवाही | निदान किया गया | कृषि |
| 39 | जिला सांबा के लिए 0.2 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर और 1.0 हेक्टेयर के लिए एकीकृत खेती मॉडल (सिंचित / वर्षा आधारित खेती के लिए) | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | कृषि |

| क्रम सं | विशेष रूप से दर्शाए मामले | ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ | निदान किए गए/ लंबित मामले | शाखा |
|---|---|---|---|---|
| 40 | जम्मू डिवीजन में ग्रीष्मकालीन सेब की खेती के लिए मूल्यांकन और सिफारिशें | 9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 41 | उच्च घनत्व वाले आम के बागों की लागत की मितव्ययता का अनुमान और अनुशंसित किस्में | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 42 | राजौरी जिले में 3-4 वर्षों के बाद खट्टे फलों के आकार में कमी की समस्या | रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की 15 दिसंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 43 | जम्मू डिवीजन के मृदा उर्वरता नक्शे का मानकीकरण और नए फल की फसल के रोपण से संबंधित सिफारिशें | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 44 | अनार/ पपीता/ केले की प्रजातियों की तैयारी के लिए आगामी टिशू कल्चर लैब बहुलीकरण का विकास | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 45 | केला, पपीता और अनार के फल की फसलों के व्यापक बहुलीकरण के लिए उत्कृष्ट केंद्र में टिशू कल्चर लैब का विविधीकरण | 9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 46 | जिला स्तर पर संरक्षित संरचना और नर्सरी प्रौद्योगिकी के संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान करना | 9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 47 | मिट्टी की उर्वरता उत्पादन और फल की फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशेष में जैविक खेती पद्धति का अभ्यास | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |

| क्रम सं | विशेष रूप से दर्शाए मामले | ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ | निदान किए गए/ लंबित मामले | शाखा |
|---|---|---|---|---|
| 48 | फलों की फसलों में बागवानी के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की दिनांक 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 49 | फल फसलों जैसे बेर, करौंदा, गलगल, जामुन, अनार, हरड़, फलसा, आदि के लिए जम्मू के कंडी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट शुष्क भूमि बागवानी का गठन | 9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 50 | जैव नियंत्रण एजेंटों का विकास/ मानकीकरण और बागवानी फसलों के लिए आईएनएम/आईपीएम के लिए सिफारिश | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 51 | प्रमुख फसलों दालों, तिलहन, सब्जियों और बागवानी, फूलों की खेती, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, मशरूम, कृषि, वर्मीकम्पोस्ट से संबंधित विभिन्न उद्यम/ अर्थव्यवस्था से 2022 तक कृषि समुदाय की आय को दुगुना करने हेतु ऐसे मॉडल अपनाने के लिए के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न फसलों के लिए वित्तीय प्रतिलाभ की तैयारी | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 52 | जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में फलों की फसलों के संबंध में अनुकूलन रणनीतियां और बेहतर किस्में | 9वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 13 मार्च 2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 53 | कंडी क्षेत्रों में विभिन्न सुगंधित फसलों की अर्थव्यवस्था | रबी 2016 के लिए ज़ेडआरईएसी की 15 दिसंबर 2016 की कार्यवाही | निदान किया गया | पुष्पकृषि |
| 54 | वाणिज्यिक बागवानी फसलों की नई जारी किस्मों की सिफारिश यथा जम्मू रीज़न के विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में जेरबेरा, लिलियम और गेंदा | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की कार्यवाही | निदान किया गया | पुष्पकृषि |

| क्रम सं | विशेष रूप से दर्शाए मामले | ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ | निदान किए गए/ लंबित मामले | शाखा |
|---|---|---|---|---|
| 55 | छोटे गेंदे वाले किसानों के लिए पॉली हाउस की सिफारिश | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की कार्यवाही | निदान किया गया | पुष्पकृषि |
| 56 | पॉली हाउस में स्वचालन/सापेक्ष आर्द्रता की सिफारिश | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की कार्यवाही | निदान किया गया | पुष्पकृषि |
| 57 | जरबेरा के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की सिफारिश | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की कार्यवाही | निदान किया गया | पुष्पकृषि |
| **तकनीक का प्रदर्शन/अनुशंसा/संवर्धन/स्थानांतरण** | | | | |
| 1 | यूरिया मोलासेस मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक्स (यूएमएमबी) के संबंध में राजौरी, डोडा, रियासी, कठुआ और जम्मू जिलों में डेयरी पशु के लिए क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण से समृद्ध तकनीक का प्रसार | 8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 29 मार्च, 2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही | लंबित | पशु पालन |
| 2 | आधारभूत संरचनात्मक आंकड़ों के प्रसार के विषय में बताया गया की किसानों के बीच बकरवाली बकरी की कीमती और अद्वितीय नस्ल के संबंध में आंकड़ें विश्वविद्यालय द्वारा एकत्रित किए जाने है। | 20-21 मई 2011 की 12वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | भेड़ पालन |
| 3 | कर्तित फूलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों और गेंदे की विभिन्न किस्मों की ग्रीष्मकालीन खेती को जम्मू प्रांत के तहत वाणिज्यिक खेती को अनुशंसित करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय को नियंत्रित परिस्थितियों में संरक्षित खेती के लिए पर्यावरण अनुकूल तकनीक प्रदान करनी चाहिए ताकि किसानों की आय में वृद्धि के लिए एकीकृत मॉडल का विकास हो सके। | 20 मार्च, 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही | लंबित | पुष्पकृषि |

| क्रम सं | विशेष रूप से दर्शाए मामले | ज़ेडआरईएसी/ विस्तार परिषद (ईसी)/ अनुसंधान परिषद बैठक (आरसीएम) से संदर्भ | निदान किए गए/ लंबित मामले | शाखा |
|---|---|---|---|---|
| 4 | विभिन्न फसलों के लिए क्षेत्र विशिष्ट सिफारिशों की उपलब्धता | 8वीं विस्तार शिक्षा परिषद की 29 मार्च, 2017 की कार्यवाही | लंबित | पुष्पकृषि |
| 5 | जम्मू क्षेत्र के समशीतोष्ण क्षेत्रों में उच्च घनत्व वाली सेब के पैकेज की पद्धति का विकास | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 6 | अखरोट/ पेकान के अलावा अखरोट की फसलों को बढ़ावा देना | रबी 2017 के लिए ज़ेडआरईएसी की 10 नवंबर 2017 की बैठक कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 7 | जम्मू रीज़न में अप्रयुक्त पड़े भूमि के बड़े हिस्से के लिए उपयुक्त फलदार पौधों की किस्मों की सिफारिश | 20 मार्च, 2018 को आयोजित 17वीं आरसीएम की कार्यवाही | निदान किया गया | बागवानी |
| 8 | जम्मू रीज़न में दामस्क गुलाब खेती को बढ़ावा देना | रबी 2016 ज़ेडआरईएसी की दिनांक 15 दिसंबर 2016 की कार्यवाही | निदान किया गया | पुष्पकृषि |

*(स्रोत: अनुसंधान परिषद और ज़ोनल अनुसंधान विस्तार और सलाहकार समिति की बैठकों का कार्यवृत्त)*

| मंच | कुल मामलें | लंबित मामलें | निदान किए गए मामलें |
|---|---|---|---|
| आरसीएम | 30 | 28 | 2 |
| ज़ेडआरईएसी | 42 | 16 | 26 |
| ईसी | 25 | 17 | 8 |
| **कुल योग** | **97** | **61** | **36** |

## परिशिष्ट-3.1.6

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.3; पृष्ठ: 105)**

**2012 में पहचाने गए अनुसंधान योग्य क्षेत्रों की उपेक्षा दर्शाता विवरण**

| क्र.सं. | पहचाने गए क्षेत्र | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|
| 1 | जर्मप्लाज्म बैंक की स्थापना और आनुवंशिक रूप से संशोधित / ट्रांसजेनिक फसलों का विकास | इसकी पहचान से 5 वर्ष से अधिक अवधि समाप्त होने के बाद राज्य कृषि उत्पादन विभाग को ₹4 करोड़ की लागत से अनुमानित जीन बैंक की स्थापना की परियोजना का प्रस्ताव (मार्च 2018) प्रस्तुत किया गया था। | आरंभ किया जाना है। |
| 2 | जलवायु परिवर्तन अनुसंधान और सुदूर संवेदन इकाई की स्थापना | चट्ठा में प्रस्तावित परियोजना आरंभ करने हेतु धन की प्रतीक्षा थी। हालांकि, निदेशक कृषि, जम्मू को प्रस्तुत (अप्रैल, 2013) ₹94.20 करोड़ (12वीं योजना) की लागत की डीपीआर पर आगे की कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। | आरंभ किया जाना है। |
| 3 | भ्रूण हस्तांतरण तकनीक के माध्यम से भैंस की स्थानीय नस्लों में सुधार | कार्यकलाप आरंभ न करने के लिए धन की प्राप्ति न होने को जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि, विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह के किसी प्रस्ताव को प्रारम्भ नहीं किया गया था। | आरंभ किया जाना है। |
| 4 | बकरवाली बकरियों पर डेटाबेस की स्थापना | एक परियोजना में बकरवाली बकरियों पर काम शुरू किया गया (जून 2018)। हालांकि, बकरवाली बकरी पर डेटाबेस की स्थापना का प्राथमिक क्षेत्र के निरूपण पर नेटवर्किंग परियोजना में संरेखित नहीं था, जिसमें प्ररूपी लक्षण के वर्णन का अधिदेश था | डेटाबेस की स्थापना पर कार्य आरंभ नहीं किया गया |
| 5 | वर्तमान में इस्तेमाल किए गए कीटनाशकों के विषविज्ञान का अध्ययन | मई 2018 तक इस तरह की कोई परियोजना आरंभ नहीं की गई थी। बताया गया (जून 2018) कि परियोजना कि फंडिंग के लिए आईसीएआर को प्रस्तुत किया जाएगा। | आरंभ नहीं हुआ |

| क्र.सं. | पहचाने गए क्षेत्र | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|
| 6 | रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मांस और दूध के उत्पादन के लिए पशुओं की जीनोटाइपिंग | मई 2018 तक इस तरह की कोई परियोजना आरंभ नहीं की गई थी। परियोजना के लिए बताया गया (जून 2018) कि फंडिंग के लिए आईसीएआर को प्रस्तुत किया जाएगा। | आरंभ नहीं हुआ |
| 7 | जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके जिला स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सूचनाओं का संग्रह और डिजिटलीकरण | इस तरह की कोई परियोजना आरंभ नहीं की गई थी। बताया गया कि परियोजना को प्रस्तुत किया गया है तथा धन की प्राप्ति के पश्चात आरंभ किया जाएगा। | आरंभ किया जाना है। |
| 8 | कीटों और रोगों के पूर्वानुमान के लिए डेटाबेस का विकास | उत्तर यह दर्शाते हुए सत्य नहीं है कि धन की अनुपलब्धता के कारण अनुमानित कार्य पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि यह परियोजना केवल ₹17.92 लाख की योजनागत लागत के विपरीत ₹6 लाख के लिए स्वीकृत की गई थी, जिसमें ₹4 लाख उपकरणों की लागत की ओर तथा ₹2 लाख आवर्ती आकस्मिकताओं के लिए तथा परियोजना को उपलब्ध अनुदान की सीमा के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए था। तथ्य यह भी है कि संकलित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बागवानी फसलों की उपस्थिति के बारे में आकड़ों को बागवानी निदेशालय के साथ साझा नहीं किया गया था। | परियोजना के मात्रात्मक उत्पादों जिसमें रोगजनकों की उत्तरजीविता का अध्ययन सम्मिलित है जो अगली फसल में इनोकुलम के प्राथमिक स्रोत, विभिन्न अंतराल पर रोगों के मूल्यांकन, रोग प्रगति वक्र के रूप में कार्य करता है और क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न तारीखों पर फसल के रोग और मौसम की स्थिति में बदलाव के आधार पर रोगों की उपस्थिति और गंभीरता के समय की भविष्यवाणी हेतु मौसम के मापदण्डों के अभिलेखों को प्राप्त नहीं किया गया था |

| क्र.सं. | पहचाने गए क्षेत्र | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|
| 9 | कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर बारिश की कमी के प्रभाव का अध्ययन | राज्य के कृषि विभाग से फंडिंग के लिए 2014-15 में ₹42 लाख की लागत पर परियोजना को लिया गया था। हालाँकि, इस परियोजना के अंतर्गत केवल ₹5 लाख की धनराशि जारी की गई है और इसके बाद परियोजना को छोड़ दिया गया है। | अध्ययन को संचालित किया गया है और अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। |
| 10 | पशु रोग की अनुश्रवण और निगरानी (एडीएमएएस) की स्थापना | हालांकि एडीएमएएस लैब को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ स्थापित किया गया था, जो समय पर धनराशि जारी न होने से पूरी तरह कार्यात्मक नहीं हो सकी थी। | उत्पादों को प्राप्त नहीं किया गया। |
| 11 | महत्वपूर्ण फसलों के विकसित जीनोटाइप का विकास करने के लिए पारंपरिक प्रजनन प्रयासों में तेजी लाने हेतु आणविक प्रजनन (मार्कर सहायता प्राप्त चयन) | आणविक मार्करों पर परियोजनाओं के संचालन के विषय में बताया गया था कि इन परियोजनाओं के निष्कर्षों को अभी तक पीआई द्वारा संप्रेषित नहीं किया गया था। हालाँकि, 2006 तथा 2017 के बीच ₹62.03 लाख की लागत से संचालित दो परियोजनाओं के माध्यम से चावल/ बीन्स की नई खेती के विकास का उद्देश्य (जून 2018 तक) हासिल नहीं किया गया था। | संचालन में, परिणाम जांच के अधीन थे। |
| 12 | खाद्य और औषधीय मशरूम की उच्च उपज वाली नस्लों का चयन और परिचय | मशरूम पर दीर्घकालिक (एआईसीआरपी)/ लघु अवधि की परियोजनाएं चालू थीं। हालांकि, खाद्य और औषधीय मशरूम पर विशिष्ट सिफारिशें उपलब्ध नहीं थीं। अध्ययनों के परिणामों का सत्यापन किया जाना था (मई 2018)। | हालांकि, संचालन में परिणाम अपडेशन के तहत थे। |

| क्र.सं. | पहचाने गए क्षेत्र | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|
| 13. | चावल, गेहूं, मक्का और सामान्य फलियों में जैविक और अजैविक तनाव के लिए विभिन्न आणविक दृष्टिकोणों के माध्यम से जीन की खोज | जीन खोज पर परियोजना का संचालित होना बताया गया था। हालाँकि 2015 और 2016 में संपन्न हुई सामान्य बीन पर इस तरह की दो परियोजनाएँ किसी तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुँची थीं। इन परियोजनाओं के माध्यम से खोजे गए नवीन जीन का नई किस्मों की निर्गमन के लिए आगे उपयोग नहीं किया गया है। | निर्णयात्मक |
| 14. | जीआईएस के माध्यम से कृषि योग्य भूमि और मिट्टी की उर्वरता मानचित्रण के लक्षण के वर्णन द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार | जीआईएस के माध्यम से मिट्टी के मानचित्रण पर विभिन्न परियोजनाओं के विषय में मृदा विज्ञान डिविजन में संचालित होना बताया गया था। हालाँकि, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) परियोजना को मृदा की उर्वरता के मूल्यांकन पर वित्त पोषित किया गया है और 2014-15 के दौरान जम्मू क्षेत्र के विभिन्न जिलों में डिजिटल मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार करने के उद्देश्य से जीआईएस का उपयोग करते हुए पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए इसकी स्थानिक विविधता अधूरी रह गई जैसा कि अप्रैल 2019 तक केवल दो जिले जिनमे जम्मू और कठुआ को कवर किया गया। | मिट्टी उर्वरता पर केवल आंशिक परिणाम उपलब्ध |

*(स्रोत: विश्वविद्यालय परिषद की बैठक का कार्यवृत्त)*

## परिशिष्ट-3.1.7

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.4.2; पृष्ठ: 109)**

**एसकेयूएएसटी जम्मू में मांग के प्रति बीज उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण**

**(आंकड़ें क्विंटल में)**

| वर्ष | मौलिक/बुनियादी फसल | इंडेंट | चट्टा में बीज उत्पादन | चाकरोई में उत्पादित बीज | कुल उत्पादन | कमी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | धान | 800.00 | 98.29 | 174.86 | 273.15 | 526.85 |
| | गेहूं | 87,350.00 | 833.29 | 642.00 | 1,475.29 | 85,874.71 |
| | **योग** | **88,150.00** | **931.58** | **816.86** | **1,748.44** | **86,401.56** |
| 2015-16 | धान | 11,845.00 | 178.00 | 162.00 | 340.00 | 11,505.00 |
| | गेहूं | 90,000.00 | 51.56 | 133.53 | 185.09 | 89,814.91 |
| | **योग** | **1,01,845.00** | **229.56** | **295.53** | **525.09** | **1,01,319.91** |
| 2016-17 | धान | 13,150.00 | 336.75 | 243.00 | 579.75 | 12,570.25 |
| | गेहूं | 49,500.00 | 663.16 | 307.00 | 970.16 | 48,529.84 |
| | **योग** | **62,650.00** | **999.91** | **550.00** | **1,549.91** | **61,100.09** |
| 2017-18 | धान | 460.00 | 259.00 | 250.00 | 509.00 | (-) 49.00 |
| | गेहूं | 9,102.00 | 539.25 | 255.00 | 794.25 | 8,307.75 |
| | **योग** | **9,562.00** | **798.25** | **505.00** | **1,303.25** | **8,258.75** |
| **कुल योग** | | **2,62,207.00** | **2,959.30** | **2,167.39** | **5,126.69** | **2,57,080.31** |

*(स्रोत: मेगा बीजों के अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.1.8

### (संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.4.4; पृष्ठ: 111)
### बंद की गई/ अवरुद्ध परियोजनाओं का विवरण

**(₹ लाख में)**

| क्रम सं | तदर्थ परियोजना का नाम (परियोजना अवधि तीन वर्ष) | लागत | उद्देश्य/उत्पाद | अभ्युक्तियाँ | किया गया व्यय | विभाग का उत्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), ब्रैसिका जंकिया के लिए एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिम्स (एसएनपी) का विकास<br>आरंभ करने की तिथि: जुलाई 2013<br>समापन तिथि: 2017 | 58.43 | एकल न्यूक्लियॉइड पॉलिमोर्फिम्स (एसएनपी) जीनोटाइपिंग के लिए उच्च-थ्रूपुट मल्टीप्लेक्स सारणी का संश्लेषण | उपकरणों की खरीद और आवश्यक सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए समय पर कार्रवाई की नहीं करने के परिणामस्वरूप क्रियान्वयन में देरी हुई। 2016-17 में परियोजना के लिए अतिरिक्त समय और अव्ययित अनुदान के उपयोग के लिए अनुरोध, फंडिंग एजेंसी द्वारा सहमति नहीं ली गई थी और ₹22.24 लाख की अव्ययित राशि फंडिंग एजेंसी को वापस की जानी थी (अक्टूबर 2017) | 26.76 | पीआई ने कहा (मार्च 2018) कि खरीद शुरू करने में केंद्रीय खरीद समिति द्वारा देरी के कारण परियोजना को नुकसान हुआ जो उसके नियंत्रण से बाहर था। |
| 2. | ब्रूसिका जंकिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के वांछनीय किस्मों में इरूसिक एसिड प्रोफाइलिंग और निम्न इरुसिक एसिड का अंतर्गमन।<br>आरंभ करने की तिथि: अगस्त 2014<br>समापन तिथि: अगस्त 2017 | 35.93 | गुणवत्ता वाले तेल की मांग को पूरा करने के लिए कम इरूसिक एसिड अवयय के साथ ब्रैसिका जनेशिया के जर्मप्लाज्म का विकास। | यूसी को अपलोड करने में तकनीकी विफलता और परियोजना के तीसरे वर्ष के लिए अनुदान जारी न करने के परिणामस्वरूप, तीसरे वर्ष परियोजना की गतिविधियों को हानि पहुंची। परियोजना के समय को बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। | 22.90 | पीआई ने कहा (मार्च 2018) कि डीबीटी के टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार, तीसरे वर्ष के तकनीकी कार्यक्रम को बिना किसी वित्तीय सहायता के चलाने और परिणामों को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए काम जारी रखने की सलाह दी गई थी। हालांकि, डीबीटी के प्रमुख ने कहा (जून 2018) कि परियोजना को बंद करने से आगे की प्रजनन प्रगति अवरुद्ध हो गई है और आज तक प्रजनन कार्यक्रम में आगे की सिफारिश के लिए संयुग्मजी लाइनों को विकसित नहीं किया जा सका है। |
| 3. | एंड्रोजेनिसिस ने जोती हुई बैंगन (डीबीटी) की फसल में फल और अंकुर | 26.40 | भ्रूण के बचाव और स्थानीय परिस्थितियों के लिए प्रोटोकॉल का | निवर्तमान पीआई के पक्ष में एनओसी जारी करने से पहले सह-पीआई/ मेंटर को परियोजना का हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं किया | 17.50 | इंगित किए जाने पर, यह कहा गया (फरवरी 2018) कि परियोजना को स्थानांतरित करने का कोई |

| क्रम सं | तदर्थ परियोजना का नाम (परियोजना अवधि तीन वर्ष) | लागत | उद्देश्य/उत्पाद | अभ्युक्तियाँ | किया गया व्यय | विभाग का उत्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतिरोधी जीन की मध्यस्थता की।<br><br>आरंभ करने की तिथि: फरवरी 2012 समापन तिथि: अगस्त 2014 | | मानकीकरण किया जाए तथा फलों के विकास और एंथर/ माइक्रोस्पोर कल्चर के लिए और बैंगन की व्यापक हाइब्रिड के पराग रोपण प्रतिरोधी हेल्प्लोयड्स/ डबल हैप्लोइड्स का विकास। | गया था, हालांकि डीबीटी द्वारा परियोजना के हस्तांतरण के प्रावधान की सूचना निवर्तमान पीआई को एक विज्ञप्ति में सूचित की गई थी। | | प्रावधान नहीं था। उत्तर का समर्थन करने वाला दस्तावेज़ केवल तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए पीआई की अनुपस्थिति के मामले में स्थानांतरण को प्रतिबंधित करता है, जो इस मामले में प्रासंगिक नहीं है। उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखकर भी देखा जाना चाहिए कि परियोजना के हस्तांतरण के लिए प्रावधान डीबीटी द्वारा निवर्तमान पीआई को एक विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया गया था, जिसके आधार पर पीआई द्वारा एनओसी लागू किया गया था। |
| 4. | भारत के मृदा कार्बन पूल का स्थानिक मूल्यांकन<br><br>आरंभ करने की तिथि: 2008 समापन तिथि: 2012 (2012 के बाद की कोई जानकारी नहीं) | 2.80 | आगे के विश्लेषण के लिए मिट्टी के नमूनों के संग्रहण द्वारा कार्बन चक्र के घटकों का अनुमान | परियोजना में पीआई का लगातार परिवर्तन हुआ जिसके परिणामस्वरूप इसका कुप्रबंधन हुआ। जुलाई 2010 तक, विभिन्न भूमि उपयोग पैटर्न के अंतर्गत केवल 29 मिट्टी प्रोफ़ाइल नमूने एकत्र किए गए थे। तीसरे पीआई ने (मई 2012) विभिन्न स्थानों पर मिट्टी के नमूने के लिए अपना नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई और परियोजना को अनिवार्य उद्देश्यों को पूरा किए बिना बर्खास्त किया गया। | 0.40 | मिट्टी के नमूनों को एकत्र करने और संबंधित क्वार्टरों में भेजने के लिए कहा गया था। हालाँकि, परियोजना से संबंधित सभी रिकॉर्ड के संबंध में बताया गया कि वे बाढ़ में नष्ट हो गए थे। हालांकि, तथ्य यह है कि राष्ट्रीय कार्बन बजट के संकलन के लिए सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों को कवर करने के लिए मिट्टी वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक समूह की भागीदारी के अभाव में और पीआई के लगातार परिवर्तन के कारण, परियोजना आगे बढ़ने में विफल रही। |

| क्रम सं | तदर्थ परियोजना का नाम (परियोजना अवधि तीन वर्ष) | लागत | उद्देश्य/उत्पाद | अभ्युक्तियाँ | किया गया व्यय | विभाग का उत्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | फलों की फसलों के लिए उच्च नस्ल रोपण सामग्री के लिए मदर प्लांट नर्सरी की स्थापना (राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड)<br>आरंभ करने की तिथि: सितंबर 2012<br><br>जून 2014 के बाद की कोई परियोजना गतिविधियां नहीं | 43.00 | साइट्रस और अमरूद की उच्च उपज वाली किस्मों का बहुलीकरण किया जाना और बगीचेवालों को आपूर्ति किया जाना। | 2012-13 के दौरान परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सका और अंत में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच) के तहत विश्वविद्यालय द्वारा एक अन्य परियोजना "बागवानी फल के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना" के तहत वृक्षारोपण हेतु बीच में छोड़ दिया गया, जिसकी अनुमानित लागत ₹784 लाख थी (फरवरी 2016)। परियोजना क्षेत्रों के अतिव्यापी होने के कारण, परियोजना के तहत पहले से ही निर्मित खट्टे फलों के मदर ब्लॉक को उखाड़ फेंकना पड़ा, जिसके लिए फंडिंग एजेंसी से रिकॉर्ड पर कोई औपचारिक मंजूरी नहीं ली गई थी। इसके अलावा, पीआई द्वारा मांगी गई परियोजना (जनवरी 2017) के लिए अतिरिक्त समय/ स्थानांतरण के लिए किसी भी अनुमोदन के अभाव में परियोजना की गतिविधियाँ अवरुद्ध थीं। इस प्रकार, साइट्रस और अमरूद की एचवाईवी के बहुलीकरण करने और बागवानों को इसकी आपूर्ति की की जाए, ताकि इससे किसान प्रामाणिक रोपण सामग्री प्राप्त कर सके, जो उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता और आय बढ़ा सके, ऐसी योजना के वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सके। | 21.73 | जवाब में, यह कहा गया (अप्रैल 2018) कि पीआई द्वारा अनुरोध की गई नर्सरी (जनवरी 2017) की परियोजना के लिए अतिरिक्त समय और स्थानांतरण हेतु अनुमति आज तक प्रतीक्षित थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना बंद हो गई। हालाँकि, तथ्य यह रहा कि परियोजना स्थलों का अतिव्यापीकरण गलत नियोजन का संकेत था। |
| | **कुल** | **166.56** | | | **89.29** | |

*(स्रोत: अनुसंधान निदेशालय के अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.1.9

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.4.5; पृष्ठ: 112)**

**कोर ब्रीडिंग कार्यक्रम में अनुसंधान परिणामों का गैर-एकीकरण**

**(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | परियोजना लागत | व्यय | पूर्ण होने की तारीख | उद्देश्य/ अनुमानित परिणाम | उपलब्धि | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से आणविक मार्करों और इन-सीटू संरक्षण का उपयोग करते हुए बासमती चावल की आनुवंशिक विविधता का आकलन | 19.13 | 19.13 | 2014 | निर्यात गुणवत्ता की किस्मों के विकास के लिए बासमती के उन्नत जीनोटाइप का विकास | नई दिल्ली के प्लांट जेनेटिक रिसर्च के नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट में जमा विविध स्थानीय भू-भाग किस्म के बासमती | इन जीनोटाइप को परियोजना में परिकल्पित निर्यात के उद्देश्यों के लिए वांछित किस्मों के विकास के लिए आगे के क्रॉसिंग कार्यक्रमों में उपयोग नहीं किया गया था। |
| 2. | सामान्य फलियों के बीच आनुवंशिक विविधता का निर्धारण और वॉटर स्ट्रैस टोलरेंस का मूल्यांकन (डीएसटी) | 22.40 | 21.50 | जून 2015 | जल तनाव प्रतिरोध की सामर्थ्य रखने वाले वांछनीय किस्म के बीन जीनोटाइप की पहचान/ मूल्यांकन | • उच्च लौह जस्ता प्रोटीन सामग्री वाले जीनोटाइप की पहचान की गई है<br>• वर्षा आधारित परिस्थितियों में उच्च उपज वाले जीनोटाइप की पहचान की गई है | आणविक हस्तक्षेपों का उपयोग करके पहचाने गए 96 विविध जीनोटाइपों के सेट का उपयोग आगे के प्रजनन कार्यक्रमों के लिए नहीं किया गया है ताकि जल तनाव प्रतिरोधी किस्मों के विकास के अपेक्षित दीर्घकालिक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | सामान्य बीन (डीओसी) में जिंक, आयरन और प्रोटीन सामग्री के लिए जीन की पहचान के लिए न्यूट्री-जीनोमिक्स और ट्रांसक्रिपटॉमिक्स | 21.50 | 19.50 | जुलाई 2016 | जस्ता, लोहा और प्रोटीन सामग्री के लिए विभेदित रूप से व्यक्त जीन के सेट की पहचान | सीड जिंक, सीड आयरन, प्रोटीन, शर्करा/ स्टार्च सामग्री/ फेनोल, उपज का योगदान लक्षण और एन्थ्रेक्नोज प्रतिरोध के लिए जीनों की पहचान | एसएसआर मार्कर जीनोटाइपिंग/ वांछनीय लक्षणों के लिए सटीक हाई-थ्रूपुट मार्कर जीनोटाइपिंग का उपयोग करके पहचानी गई 96 लाइनों के मुख्य सेट का नई बीन किस्मों की उन्नत गुणवत्ता, उपज और रोग प्रतिरोध के साथ विकास हेतु उन्नत बीन आणविक प्रजनन कार्यक्रमों का उपयोग आगे नहीं किया गया था। |
| 4. | जम्मू रीज़न में चावल में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल (सीएमएस) प्रणाली का उपयोग करते हुए बासमती हाइब्रिड का विकास | 1.91 | 1.91 | 2006 | वांछित लक्षणों को शामिल करके बासमती हाइब्रिड का विकास। | प्रभावी पुनर्स्थापकों और अनुरक्षकों की पहचान के लिए 3 बासमती सीएमएस लाइनों (पूसा 3ए, 5ए और 6ए) का मूल्यांकन | पहचान की गई लाइनों को उनके पुनर्स्थापकों के साथ परिकल्पित रूप में बासमती हाइब्रिड को जारी करने के लिए मुख्य प्रजनन कार्यक्रम में एकीकृत नहीं किया गया था, हालांकि बीज उत्पादन को मानकीकृत किया गया था। |
| | **कुल** | **64.94** | **62.04** | | | | |

*(स्रोत: अनुसंधान निदेशालय के अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.1.10

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.1.5.1; पृष्ठ: 114)**

**प्रयोगशाला से खेतों तक तकनीक हस्तांतरण संबंधी परियोजनाओं का विवरण**

| क्रम सं. | परियोजना का शीर्षक | बजट (₹ लाख में) | फंडिंग एजेंसी का नाम | आरंभ करने का वर्ष | पूर्ण होने का वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ख़ानाबदोशों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए भेड़, बकरियों और खानाबदोश महिलाओं के सामान्य परजीवी ज़ूनोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हस्तक्षेपी रणनीतियाँ | 2.58 | नाबार्ड | 2013 | 2017 |
| 2 | विसटर चूहों में प्रजनन सूचकांकों के विशेष संदर्भ के साथ धातुक्षय प्रेरित विकासात्मक विषाक्तता को नियंत्रित करने वाला तंत्र | 16.79 | राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, जम्मू और कश्मीर सरकार | 2011 | 2014 |
| 3 | जम्मू और कश्मीर में पर्यटन और तीर्थयात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले घोड़ों के महत्वपूर्ण उभरते ज़ूनोटिक रोग | 14.64 | आईसीएमआर, नयी दिल्ली | 2011 | 2014 |
| 4 | एनिमल डिजिज़ मोनिटरिंग एवं सर्विलांस (एडीएमएएस) लैब्स। | 31.00 | राज्य सरकार | 2012 | 2015 |
| 5 | ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए डेयरी पशुओं में प्रजनन और प्रबंधन रणनीति | 15.80 | डीएसटी | 2010 | 2014 |
| 6 | जम्मू जिले में बोवाइन क्रिप्टोस्पोरिडिओसिस और इसकी ज़ोनोटिक सामर्थ्य | 27.00 | डीबीटी | 2011 | 2015 |
| 7 | जम्मू और कश्मीर में पशुधन में विभिन्न बीमारियों के उपचार में उपयुक्त कार्यप्रणाली के पैकेज के दस्तावेज़ो का सत्यापन और विस्तार | 8.44 | डीएसटी | 2011 | 2014 |
| | **योग** | **116.25** | | | |

*(स्रोत: विभागीय अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.4.1

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.4; पृष्ठ: 125)**

**पूर्व-संशोधित दरों पर खाद्यान्नों की बिक्री दर्शाता विवरण**

| क्रम सं | सहायक निदेशक का नाम (एफ़सीएस एवं सीए) | महीने | वस्तु | श्रेणी | बेची गई मात्रा (क्विंटल में) | प्रभारित दरें (₹ प्रति क्विंटल) | प्रेषित राशि (₹ लाख में) | प्रभारित की जाने वाली दरें (₹ प्रति क्विंटल) | प्रेषित की जाने वाली राशि (₹ लाख में) | अल्प प्रेषण (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=6x7) | (9) | (10=6x9) | (11=10-8) |
| | कश्मीर डिवीजन | | | | | | | | | |
| 1. | बारामूला | अक्टूबर 2016 | चावल | एनपीएचएच | 17,789.79 | 1,000 | 177.90 | 1,500 | 266.85 | 88.95 |
| 2. | पुलवामा | अक्टूबर तथा नवंबर 2016 | चावल | एनपीएचएच | 21,081.33 | 1,000 | 210.81 | 1,500 | 316.22 | 105.41 |
| 3. | शोपियाँ | अक्टूबर तथा नवंबर 2016 | चावल | एनपीएचएच | 9,793.21 | 1,000 | 97.93 | 1,500 | 146.90 | 48.97 |
| 4. | कुपवाड़ा | अक्टूबर 2016 | चावल | एनपीएचएच | 11,350.36 | 1,000 | 113.50 | 1,500 | 170.26 | 56.76 |
| 5. | गांदरबल | अक्टूबर तथा नवंबर 2016 | चावल | एनपीएचएच | 9,719.37 | 1,000 | 97.19 | 1,500 | 145.79 | 48.60 |
| 6. | बांदीपोरा | अक्टूबर तथा नवंबर 2016 | चावल | एनपीएचएच | 9,904.11 | 1,000 | 99.04 | 1,500 | 148.56 | 49.52 |
| 7. | अनंतनाग | अक्टूबर 2016 | चावल | एनपीएचएच | 13,581.16 | 1,000 | 135.81 | 1,500 | 203.72 | 67.91 |
| 8. | बडगाम | अक्टूबर 2016 | चावल | एनपीएचएच | 11,438.89 | 1,000 | 114.39 | 1,500 | 171.58 | 57.19 |

| क्रम सं | सहायक निदेशक का नाम (एफ़सीएस एवं सीए) | महीने | वस्तु | श्रेणी | बेची गई मात्रा (क्विंटल में) | प्रभारित दरें (₹ प्रति क्विंटल) | प्रेषित राशि (₹ लाख में) | प्रभारित की जाने वाली दरें (₹ प्रति क्विंटल) | प्रेषित की जाने वाली राशि (₹ लाख में) | अल्प प्रेषण (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8=6x7) | (9) | (10=6x9) | (11=10-8) |
| 9. | कुलगाम | अक्टूबर 2016 | चावल | एनपीएचएच | 7,698.10 | 1,000 | 76.98 | 1,500 | 115.47 | 38.49 |
| | **जम्मू डिवीजन** | | | | | | | | | |
| 10. | रेयासी | अक्टूबर 2016 | गेहूं | एनपीएचएच | 616.66 | 725 | 4.47 | 1,200 | 7.40 | 2.93 |
| | | | चावल | | 1,165.47 | 1,000 | 11.65 | 1,500 | 17.48 | 5.83 |
| | | | आटा | | 1,364.30 | 800 | 10.91 | 1,300 | 17.74 | 6.83 |
| 11. | कठुआ | अक्टूबर 2016 | गेहूं | एनपीएचएच | 3,270.60 | 725 | 23.71 | 1,200 | 39.25 | 15.54 |
| | | | चावल | | 2,610.42 | 1,000 | 26.10 | 1,500 | 39.16 | 13.06 |
| | | | आटा | | 3,515.40 | 800 | 28.12 | 1,300 | 45.70 | 17.58 |
| 12. | उधमपुर | अक्टूबर 2016 | चावल | एनपीएचएच | 2,720.58 | 1,000 | 27.21 | 1,500 | 40.81 | 13.60 |
| | | | आटा | | 4,929.82 | 800 | 39.44 | 1,300 | 64.09 | 24.65 |
| | | | गेहूं | | 1,510.84 | 725 | 10.95 | 1,200 | 18.13 | 7.18 |
| | | | चावल | एमएमएसए फ़ईएस | 1,877.61 | 1,200 | 22.53 | 1,500 | 28.16 | 5.63 |
| | | | आटा | | 1,773.22 | 800 | 14.19 | 1,300 | 23.05 | 8.86 |
| | | | गेहूं | | 406.53 | 725 | 2.95 | 1,200 | 4.88 | 1.93 |
| | **योग** | | | | **1,38,117.77** | | **1,345.78** | | **2,031.20** | **685.42** |

*(स्रोत: संबंधित सहायक निदेशकों द्वारा अनुरक्षित इशू रजिस्टर और ऑफ-टेक स्टेटमेंट)*

## परिशिष्ट-3.11.1

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.11; पृष्ठ: 140)**

**वेतन बकायों तथा अमान्य भत्तों के अधिक भुगतान के समय-वार ब्योरों को दर्शाता विवरण**

**(₹ राशि में)**

| क्रम सं | डीडीओ का नाम | कर्मचारियों के नाम | अवधि | वसूली योग्य राशि | की गई वसूली | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **वेतन भत्तों का अधिक भुगतान** | | | | | |
| 1. | अपर एसपी श्रीनगर | बशीर अहमद सं. 655/एस | अगस्त 2009 से सितंबर 2017 | 4,16,740 | 2,72,000 | 1,44,740 |
| 2. | एसएसपी कुलगाम | तारिक अहमद सं. 668/केजीएम (वर्तमान में एसएसपी अनंतनाग के अंतर्गत तैनात) | मार्च 2008 से अक्टूबर 2018 | 5,76,041 | 5,76,041 | शून्य |
| 3. | एसएसपी कुलगाम | फजौल रहमान सं. 793/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी बांडीपोरा के अंतर्गत तैनात) | जून 2012 से नवंबर 2018 | 2,61,072 | 40,000 | 2,21,072 |
| 4. | एसएसपी कुलगाम | मुश्ताक अहमद सं. 1024/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी अवन्तिपोरा के अंतर्गत तैनात) | जुलाई 2011 से सितंबर 2018 | 4,53,875 | 90,000 | 3,63,875 |
| 5. | एसएसपी कुलगाम | निसार अहमद सं.1035/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी बडगाम के अंतर्गत तैनात) | अप्रैल 2002 से फरवरी 2018 | 5,96,318 | 1,15,000 | 4,81,318 |
| 6. | एसएसपी कुलगाम | सजद अहमद सं.1034/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी श्रीनगर के अंतर्गत तैनात) | दिसंबर 2011 से अक्टूबर 2018 | 5,55,463 | 81,000 | 4,74,463 |

| क्रम सं | डीडीओ का नाम | कर्मचारियों के नाम | अवधि | वसूली योग्य राशि | की गई वसूली | शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **वेतन भत्तों का अधिक भुगतान** | | | | | |
| 7. | एसएसपी कुलगाम | रेयाज़ अहमद सं. 1036/ केजीएम (वर्तमान में एसएसपी गांदरबल के अंतर्गत तैनात) | दिसंबर 2011 से नवंबर 2018 | 4,50,782 | 45,000 | 4,05,782 |
| | **योग** | | | **33,10,291** | **12,19,041** | **20,91,250** |
| | **अमान्य भत्तें** | | | | | |
| 8. | एसएसपी, सीआईडी, सीआईके, श्रीनगर | अमान्य राशन मनी भत्ता (140 कर्मचारी) | सितंबर 2009 से फरवरी 2015 | 12,87,600 | 8,14,100 | 4,73,500 |
| | **कुल योग** | | | **45,97,891** | **20,33,141** | **25,64,750** |

*(स्रोत: विभागीय अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.12.1

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.1; पृष्ठ: 141)**

**सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग का संगठनात्मक चार्ट**

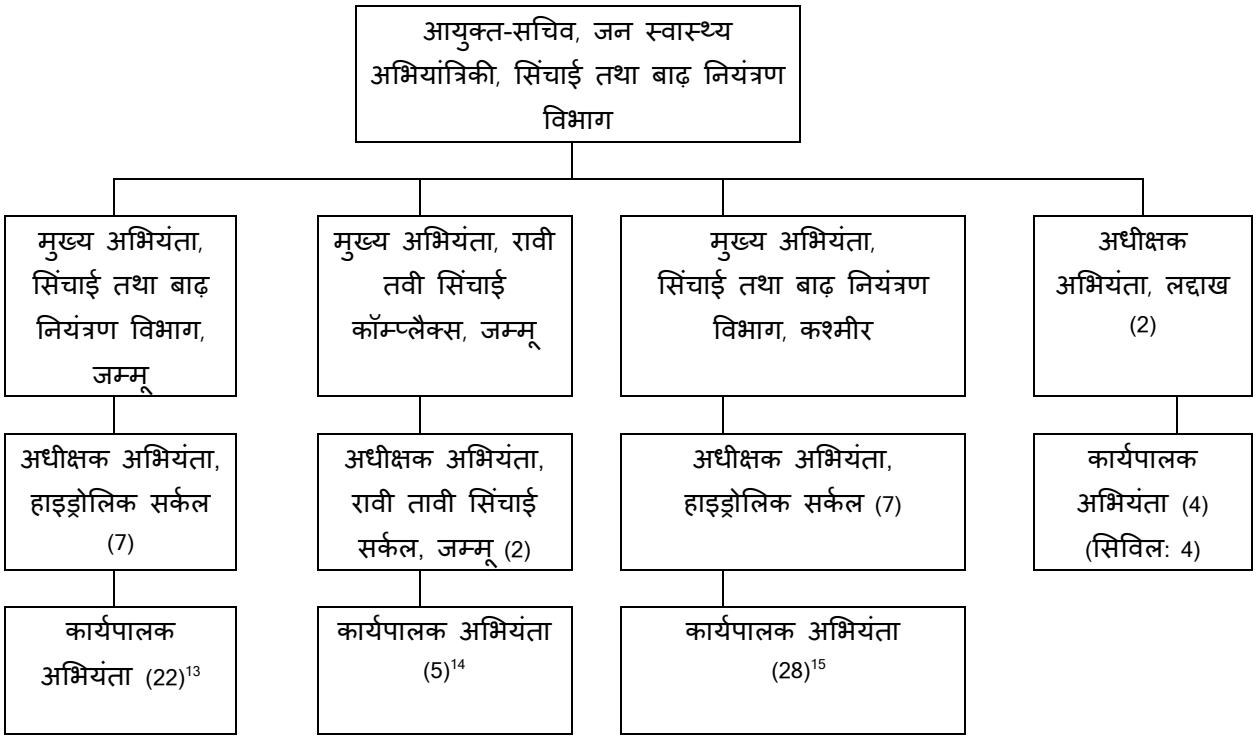


*(स्रोत: विभागीय अभिलेख)*

[13] सिविल: 15; यांत्रिक: 3 तथा बाढ़ नियंत्रण: 4

[14] सिविल: 3 तथा यांत्रिक: 2

[15] सिविल: 18; यांत्रिक: 6 तथा बाढ़ नियंत्रण: 4

## परिशिष्ट-3.12.2

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.2.1; पृष्ठ: 143)**

**प्रति हेक्टेयर एक लाख से अधिक विकास लागत वाली 28 योजनाओं के ब्योरे को दर्शाता विवरण**

| क्रम सं | योजना का नाम | डिवीजन का नाम | अनुमानित लागत (₹ लाख में) | मार्च 2018 तक किया गया व्यय (₹ लाख में) | प्रति हेक्टेयर विकास लागत (₹ लाख में) | आरंभ करने का वर्ष | पूर्ण करने का नियत वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | एलआईएस नागर गुसैन | सिंचाई डिवीजन, अखनूर | 96.00 | 95.70 | 1.47 | 2011-12 | 2013-14 |
| 2. | एलआईएस चोकी और चोरा | | 550.00 | 549.78 | 1.45 | 2008-09 | 2010-11 |
| 3. | एलआईएस कोट-II | | 150.00 | 150.00 | 1.50 | 2011-12 | 2013-14 |
| 4. | एलआईएस गंगाल | | 113.00 | 113.00 | 1.50 | 2011-12 | 2013-14 |
| 5. | एलआईएस सिधरा (दन्ना) | | 135.00 | 128.98 | 1.50 | 2011-12 | 2013-14 |
| 6. | एलआईएस समोह चपरियाल | | 798.00 | 729.05 | 1.25 | 2008-09 | 2010-11 |
| 7. | मैट अनसू खुल का निर्माण | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, उधमपुर | 63.11 | 63.11 | 1.26 | 2011-12 | 2013-14 |
| 8. | बाना तालाब से नाला बाड़ी का निर्माण | | 84.94 | 82.65 | 1.06 | 2011-12 | 2014-15 |
| 9. | जोगानी नाला से चौकी तक खुल का निर्माण | | 99.90 | 99.90 | 1.11 | 2011-12 | 2014-15 |
| 10. | कटवाल्ट खुल का निर्माण | | 81.21 | 81.21 | 1.28 | 2011-12 | 2014-15 |
| 11. | हंसा खुल पर चैक बांध का निर्माण | | 541.00 | 203.37 | 1.50 | 2011-12 | 2014-15 |
| 12. | थंगर खुल का निर्माण | | 111.00 | 75.95 | 1.00 | 2011-12 | 2014-15 |
| 13. | एलआईएस डब्बर पोथा का पुन:प्रतिरूपण/ विस्तार | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, नौशेरा | 129.77 | 128.47 | 1.02 | 2009-10 | 2012-13 |
| 14. | एलआईएस राजल के अंतर्गत जल की वृद्धि के लिए गुरुत्वीय फीडर का निर्माण | | 1,750.00 | 1,784.33 | 1.23 | 2006-07 | 2011-12 |
| 15. | एलआईएस खलसियान | | 129.00 | 129.00 | 2.35 | 2011-12 | 2013-14 |
| 16. | एलआईएस बेरी पट्टन | | 5,108.00 | 1,249.93 | 3.01 | 2011-12 | 2015-16 |
| 17. | सेरी खुल | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, राजौरी | 58.98 | 45.25 | 1.07 | 2011-12 | 2013-14 |
| 18. | शुंगरी खुल | | 105.00 | 65.85 | 1.15 | 2011-12 | 2013-14 |
| 19. | लाउंडी खुल | | 95.42 | 62.88 | 1.25 | 2011-12 | 2013-14 |

| क्रम सं | योजना का नाम | डिवीजन का नाम | अनुमानित लागत (₹ लाख में) | मार्च 2018 तक किया गया व्यय (₹ लाख में) | प्रति हेक्टेयर विकास लागत (₹ लाख में) | आरंभ करने का वर्ष | पूर्ण करने का नियत वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | एलआईएस धेरी धारा | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, राजौरी | 119.00 | 118.89 | 1.58 | 2008-09 | 2010-11 |
| 21. | रकीबन खुल | | 336.00 | 149.88 | 1.56 | 2011-12 | 2013-14 |
| 22. | पेरी डंडेवली खुल | | 162.74 | 114.59 | 1.29 | 2011-12 | 2013-14 |
| 23. | खूंडाफेर खुल | | 79.05 | 48.12 | 1.36 | 2011-12 | 2013-14 |
| 24. | तरकुला खोड़ मोंग खुल | | 198.92 | 127.44 | 1.17 | 2011-12 | 2013-14 |
| 25. | नव खुल का निर्माण | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, बडगाम | 893.77 | 73.20 | 1.06 | 2013-14 | 2015-16 |
| 26. | लिफ्ट सिंचाई योजना डुलांजा | हाइड्रोलिक डिवीजन, उरी | 179.50 | 119.58 | 1.31 | 2011-12 | 2013-14 |
| 27. | पेठान जमींदारी खुल की पुन:प्रतिरूपण | सिंचाई डिवीजन, अनंतनाग | 274.00 | 307.21 | 1.49 | 2011-12 | 2012-13 |
| 28. | वीरवार खुल का पुन:प्रतिरूपण | | 927.00 | 575.47 | 1.92 | 2011-12 | 2012-13 |
| | **योग** | | **13,369.31** | **7,472.79** | | | |

*(स्रोत: विभागीय अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.12.3

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.5; पृष्ठ: 151)**

**चयनित डिवीजनों में अधिकतम सिंचाई सामर्थ्य, सृजित सिंचाई सामर्थ्य तथा प्रयुक्त सिंचाई सामर्थ्य को दर्शाता विवरण**

**(हेक्टयर में)**

| क्रम सं. | डिवीजन का नाम | अधिकतम सिंचाई सामर्थ्य (यूआईपी) | निर्मित सिंचाई सामर्थ्य (आईपीसी) | प्रयुक्त सिंचाई सामर्थ्य (आईपीयू) | प्रतिशत प्राप्ति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | यूआईपी के संदर्भ सहित सिंचाई सामर्थ्य का निर्माण | आईपीसी के संदर्भ सहित सिंचाई सामर्थ्य का उपयोग |
| 1. | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, राजौरी | 6,825 | 1,635 | 1,188 | 24 | 73 |
| 2. | सिंचाई डिवीज़न, अखनूर | 4,184 | 1,315 | 50 | 31 | 4 |
| 3. | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, नौशेरा | 7,885 | 3,415 | 852 | 43 | 25 |
| 4. | सिंचाई डिवीज़न, कठुआ | 14,650 | 3,759 | 1,722 | 26 | 46 |
| 5. | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, उधमपुर | 4,328 | 953 | 389 | 22 | 41 |
| 6. | सिंचाई डिवीजन- I जम्मू | 59,478 | 54,713 | 54,675 | 92 | 100 |
| 7. | सिंचाई डिवीजन- II जम्मू | 640 | 290 | 255 | 45 | 88 |
| 8. | रवि तवी सिंचाई कॉम्प्लैक्स जम्मू | 15,016 | 13,240 | 11,480 | 88 | 87 |
| 9. | नलकूप सिंचाई डिवीजन जम्मू | 2,607 | 1,344 | 542 | 52 | 40 |
| 10. | सिंचाई डिवीजन, अनंतनाग | 14,495 | 5,548 | 4,068 | 38 | 73 |
| 11. | सिंचाई डिवीजन, बारामूला | 13,474 | 2,086 | 2,086 | 15 | 100 |
| 12. | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, सोपोर | 6,181 | 1,105 | 1,105 | 18 | 100 |
| 13. | फ़िरोज़पुर बेसिन सिंचाई डिवीजन, तंगमर्ग | 9,698 | 8,015 | 8,015 | 83 | 100 |
| 14. | हाइड्रोलिक डिवीजन, उरी | 4,063 | 470 | 470 | 12 | 100 |
| 15. | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, बडगाम | 16,837 | 9,720 | 8,672 | 58 | 89 |
| 16. | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, हंदवाड़ा | 1,325 | 50 | 50 | 4 | 100 |
| 17. | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, कुपवाड़ा | 7,685 | 2,000 | 628 | 26 | 31 |
| **योग** | | **1,89,371** | **1,09,658** | **96,247** | **58** | **88** |

*(स्रोत: विभागीय अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.12.4

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.8.1; पृष्ठ: 156)**

**पूर्ण होने वाले निर्माण कार्य, वास्तविक पूर्ण निर्माण कार्य तथा देरी हेतु कारणों के विभिन्न चरणों को दर्शाता विवरण**

| विवरण | लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के नाम | |
|---|---|---|
| | **बेरी पट्टन** | **अंबारण-II** |
| अनुमानित लागत | ₹51.08 करोड़ | ₹4.45 करोड़ |
| पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | 2015-16 | 2009-10 |
| जारी की गई निधियाँ | ₹17.71[16] करोड़ | ₹4.45 करोड़ |
| व्यय | ₹17.71[17] करोड़ | ₹4.45 करोड़ |
| **सिविल निर्माण कार्य** | | |
| क्रियान्वयित किया जाने वाला | मुख्य कार्य, मुख्य नहर, शाखाओं आदि का निर्माण। | पंप हाउस, डिलीवरी टैंक, मुख्य चैनल, वितरण प्रणाली आदि का निर्माण। |
| वास्तविक क्रियान्वयित | केवल 20 प्रतिशत सिविल कार्यों को ही क्रियान्वित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से खुदाई शामिल हैं जैसा कि घटनास्थल पर सत्यापित हुआ। | केवल 60 प्रतिशत सिविल कार्य क्रियान्वित (पंप हाउस प्रगति में, वितरण टैंक पूर्ण, मुख्य चैनल और वितरण प्रणाली आंशिक रूप से पूरा हुआ)। |
| देरी हेतु कारण | अपर्याप्त निधि | अपर्याप्त फंडिंग। एमआईसीडी, जम्मू द्वारा संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने के कारण परियोजना को संशोधित किया गया। जिसकी मंजूरी प्रतीक्षित है। |
| **विद्युत यांत्रिक कार्य** | | |
| क्रियान्वयित किया जाने वाला | पम्पिंग मशीनरी की स्थापना, संबंधित कार्यों के साथ राइजिंग मेन और विद्युत उप-स्टेशन का निर्माण। | पम्पिंग मशीनरी की स्थापना, संबंधित कार्यों के साथ-साथ राइजिंग मेन और इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का निर्माण। |
| वास्तविक रूप से क्रियान्वित | कोई यांत्रिक कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का काम पूरा हो चुका है। | राइजिंग मेन और पंपिंग मशीनरी की केवल खरीद की गई, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का काम पूरा किया गया है। |
| देरी हेतु कारण | सिविल डिवीजन द्वारा पंप रूम बिल्डिंग का निर्माण न होना। स्टेज फर्स्ट पंप रूम और कैनाल सेक्शन आरडी: 0-5410एम के काम को निविदा आधार पर लिया गया था। हालांकि 10 से 45 प्रतिशत काम पूरा करने के बाद छोड़ दिया गया। | विद्युत यांत्रिक कार्यों के निष्पादन के लिए निधि प्रतीक्षित। |

*(स्रोत: विभागीय अभिलेख)*

16 2018-19 के दौरान जारी ₹5.21 करोड़ के साथ

17 सितंबर 2019 तक व्यय

## परिशिष्ट-3.12.5

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.12.8.2; पृष्ठ: 158)**

**आठ सैंपल डिवीजनों में निष्क्रिय पड़ी मशीनरी के योजना वार ब्योरे दर्शाता विवरण**

| क्रम सं | लिफ्ट सिंचाई योजना का नाम | डिवीजन का नाम | मशीनरी और संबद्ध सामाग्री का विवरण | लागत (₹ लाख में) | अवधि जिससे प्रयोग में नहीं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राजपुरा | सिंचाई डिवीजन, अखनूर | (i) एचसी पंप, हेड मोटर, केवी स्टार्टर आदि और मेन रिफ्लेक्स वाल्व आदि। | 24.60 | सितंबर 2010 |
| 2. | नागर गुसैन | | मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व, फुट वैल्यू के साथ एचसी पंप | 10.55 | जनवरी 2014 से सितंबर 2014 |
| 3. | सिधरा धाना | | मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व और फुट वाल्व के साथ एचसी पंप | 10.52 | जनवरी 2014 से सितंबर 2014 |
| 4. | अंबारन-II | | मोटर, स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व, फुट वाल्व आदि के साथ एचसी पंप | 100.93 | अक्टूबर 2014 |
| 5. | नूड बिहारा | | फूट वाल्व | 0.68 | सितंबर 2014 (2016-17 में योजना पूर्ण) |
| 6. | धेरी धारा | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, राजौरी | एमआरवी | 0.48 | जून 2013 |
| 7. | रकीबन | | मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व के साथ एचसी पंप | 8.70 | जनवरी 2014 से सितंबर 2014 |
| 8. | ज़िंदा पीर | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, नौशेरा | मोटर और स्टार्टर और फूट वाल्व के साथ एचसी पंप | 1.67 | जनवरी 2014 से सितंबर 2014 |
| 9. | नबरी बरोटा | सिंचाई डिवीजन, कठुआ | मोटर और स्टार्टर के साथ स्लुइस वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व और फूट वाल्व के साथ एचसी पंप | 45.07 | जनवरी 2014 से सितंबर 2014 |
| 10. | लोअर राजवालता | | मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व और फूट वाल्व के साथ एचसी पंप | 40.38 | जनवरी 2014 से सितंबर 2014 |
| 9. | नबरी बरोटा | सिंचाई डिवीजन, कठुआ | मोटर और स्टार्टर के साथ स्लुइस वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व और फूट वाल्व के साथ एचसी पंप | 45.07 | जनवरी 2014 से सितंबर 2014 |
| 10. | लोअर राजवालता | | मोटर और स्टार्टर, स्लुइस वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व और फूट वाल्व के साथ एचसी पंप | 40.38 | जनवरी 2014 से सितंबर 2014 |

| क्रम सं | लिफ्ट सिंचाई योजना का नाम | डिवीजन का नाम | मशीनरी और संबद्ध सामाग्री का विवरण | लागत (₹ लाख में) | अवधि जिससे प्रयोग में नहीं |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | मांडयारी | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन सोपोर | पम्पिंग उपकरण, ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन गैन्ट्री, मॉड्यूलर कंट्रोल पेनल्टी एनआरवी 350 एमएम 130 एम्पीयर स्टेबलाइजर आदि | 40.31 | मई 2012 से जनवरी 2015 |
| 12. | बर्न हंजीवीरा | | पम्पिंग उपकरण, प्राइमिंग पंप, ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन गैन्ट्री, मॉड्यूलर कंट्रोल पेनल्टी एनआरवी 350 एमएम आदि | 34.98 | जनवरी 2014 से दिसंबर 2014 |
| 13. | अहमदपोरा कोंगामधारा | | यांत्रिक कार्य वाल्व, एमएस पाइप, एनआरवी फ्लैंगेस, पावर केबल, 300 एचपी एटीएस स्टार्टर आदि। | 146.22 | मई 2012 से सितंबर 2015 |
| 14. | आदिपोरा | | 10 क्यूसेक पंपिंग उपकरण, 120 वर्ग मिमी केबल, रिफ्लेक्स वाल्व आदि। | 43.57 | सितंबर 2014 से मार्च 2015 |
| 15. | चोटीपोरा | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, बारामूला | 70 वर्ग एमएम ए1 केबल, सीयू केबल, रिफ्लेक्स वाल्व, मॉड्यूलर कंट्रोल पैनल आदि। | 8.94 | अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 |
| 16. | दुलांजा | हाइड्रोलिक डिवीजन उरी | 300 केवीए वोल्टेज स्टेबलाइजर, वीटी पंप, मुख्य नियंत्रण कक्ष आदि। | 80.22 | नवंबर 2011 से मार्च 2012 |
| 17. | बोंगा सलामाबाद | | 100 केवी वोल्टेज स्टेबलाइजर, 125 डीआईए का राइजिंग मेन , स्टील के खंभे आदि | 15.81 | अप्रैल 2012 से फरवरी 2015 |
| 18. | बुधरेशी | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण डिवीजन, हंदवाड़ा | 300 केवीए वोल्टेज स्टेबलाइजर, मुख्य वितरण चैनल, राइजिंग मेन के लिए 800 मिमी पाइप, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन आदि। | 51.16 | सितंबर 2009 से फरवरी 2014 |
| 19. | वादिपोरा | | इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 1 क्यूसेक क्षमता वाली क्षैतिज पंप | 4.90 | 2016 |
| **योग** | | | | **669.69** | |

*(स्रोत: विभागीय अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.15.1

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.15; पृष्ठ: 164)**

**अनुमानित लागत, आबंटित/ निर्मोचित निधि, किया गया व्यय, देय पर्यवेक्षण प्रभार, बकाया तथा वसूल किए गए पर्यवेक्षण प्रभारों के कार्य-वार ब्योरे दर्शाता विवरण**

**(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | कार्य का नाम | आरंभ की तिथि | पूर्ण होने की तिथि | अनुमानित लागत | जारी की गई निधियाँ | जनवरी 2018 तक व्यय | पर्यवेक्षण प्रभार | वसूल किए गए पर्यवेक्षण प्रभार | बकाया शेष | फ़र्म जिससे वसूली की जानी है | कार्य की वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रैटल पावर हाउस, किश्तवाड़ के लिए 10 एमवीए, 33 केवी रिसीविंग स्टेशन का निर्माण | नवंबर 2012 | दिसंबर 2016 | 205.69 | 205.69 | 499.22 | 47.43 | 15.76 | 31.67 | मैसर्स जीवीके पावर और इन्फ्रा लिमिटेड गुड़गाँव | पूर्ण |
| 2. | निर्माणाधीन 132/33 केवी ग्रिड स्टेशन किश्तवाड़ से रैटल पावर हाउस किश्तवाड़ तक 12,050 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइन बिछाना | मई 2012 | मई 2013 | 171.50 | 171.50 | | | | | | |
| | सामग्री और श्रम के मूल्य वृद्धि के लिए क्रम सं. 1 & 2 पर 20% प्रावधान | | | 75.44 | 75.44 | | | | | | |
| 3. | रिसीविंग स्टेशन ठठरी को 6.3 एमवीए से 10 एमवीए तक बढ़ाना | अक्टूबर 2012 | मार्च 2013 | 18.97 | 18.97 | | | | | | |

| क्र. सं. | कार्य का नाम | आरंभ की तिथि | पूर्ण होने की तिथि | अनुमानित लागत | जारी की गई निधियाँ | जनवरी 2018 तक व्यय | पर्यवेक्षण प्रभार | वसूल किए गए पर्यवेक्षण प्रभार | बकाया शेष | फ़र्म जिससे वसूली की जानी है | कार्य की वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | ईएम और आरई डिवीजन किश्तवाड़ के माध्यम से रैटल पावर हाउस किश्तवाड़ के लिए अलग से 7 किमी लंबी 11 केवी फीडर प्रदान करना | अक्टूबर 2012 | अप्रैल 2013 | 41.63 | 41.63 | | | | | | |
| 5. | 3.15 एमवीए, 33/11 केवी रिसीविंग स्टेशन एलकेएचईपी परियोजना ठठरी का निर्माण | मई 2015 | अगस्त 2015 | 195.47 | 25.00 | 21.93 | 2.08 | 1.71 | 0.37 | मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्टस लिमिटेड | अपूर्ण |
| | **योग** | | | **708.70** | **538.23** | **521.15** | **49.51** | **17.47** | **32.04** | | |

*(स्रोत: विभागीय अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.16.1

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.16.1; पृष्ठ: 166)**

**पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु अंगीकृत प्रक्रिया तथा पीएचई विभाग का संगठनात्मक चार्ट**

**संगठनात्मक चार्ट**

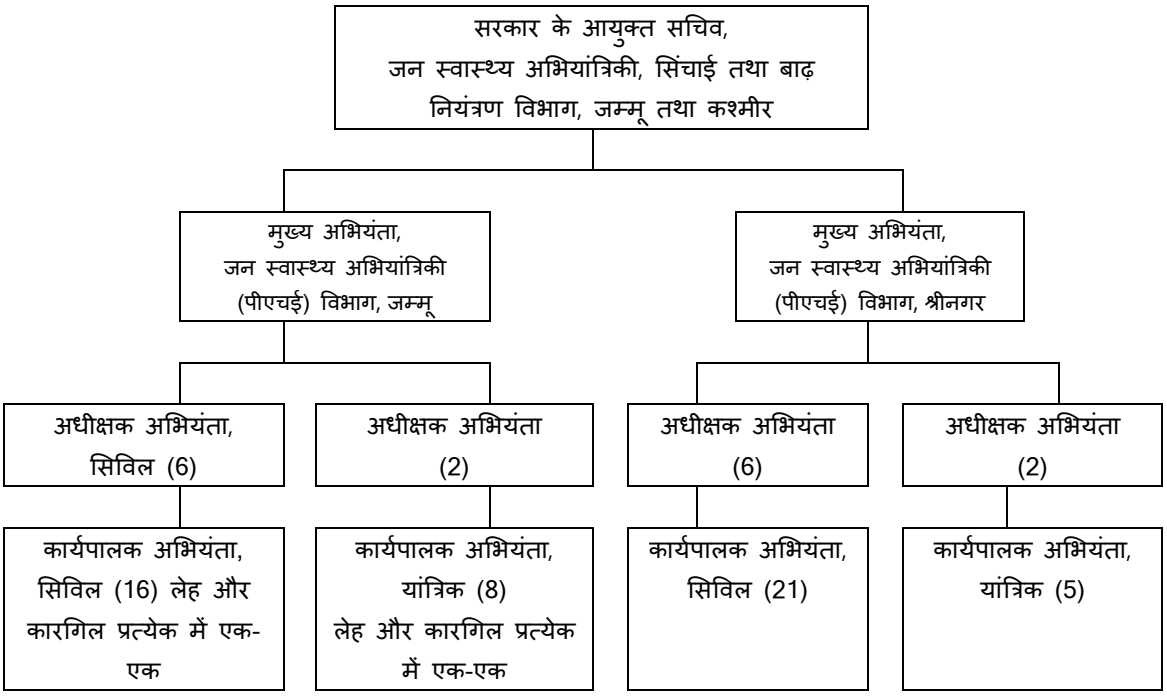


| **पंजीकरण प्रमाण पत्र के स्वीकृति हेतु अंगीकृत प्रक्रिया** |
|---|
| भू-जल की निकासी के लिए बोर/ ट्यूबवेल की स्थापना के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) की स्वीकृति के लिए आवेदन मुख्य अभियंता पीएचई विभाग के कार्यालय में प्राप्त होता है। मुख्य अभियंता इसे अधीक्षक अभियंता (एसई), हाइड्रोलिक और मैकेनिकल सर्कल की टिप्पणियों और अनुशंसाओं के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए आगे भेजता है। संबंधित सिविल और मैकेनिकल डिवीजन से रिपोर्ट और अनुशंसायें प्राप्त होने पर एसई हाइड्रोलिक और एसई मैकेनिकल अपनी रिपोर्ट और अनुशंसा के साथ मामले को फिर से मुख्य अभियंता पीएचई विभाग को प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट और अनुशंसा मिलने के बाद मुख्य अभियंता या तो आरसी को अस्वीकार कर देते हैं या उपयोगकर्ता को भू-जल के निष्कर्षण और दोहन के लिए कुछ शर्तों के अधीन स्वीकार करते हैं, जिसके लिए संबंधित डिवीजन के डिवीजनल प्रमुख (कार्यकारी अभियंता) द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, लाइसेंसधारी से पानी के उपयोग के शुल्क की मांग और वसूली भी कार्यकारी अभियंता की जिम्मेदारियों में से एक है। |

*(स्रोत: विभागीय अभिलेख)*

## परिशिष्ट-3.16.2

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.16.3; पृष्ठ: 168)**

**2013 से 2016 की अवधि के दौरान राज्य (जम्मू/ कश्मीर) के दो डिवीजनों के कुओं में शीतकाल उपरांत और मानसून उपरांत भू-जल स्तर (जीडबल्यूएल) का मौसमी और वार्षिक वर्षा में उतार-चढाव**

| जीडबल्यूएल में वृद्धि/ गिरावट | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुओं की संख्या- दर्शाते हुए | | | | | | | | | | | |
| | जीडबल्यूएल में वृद्धि | जीडबल्यूएल में गिरावट | योग | जीडबल्यूएल में वृद्धि | जीडबल्यूएल में गिरावट | योग | जीडबल्यूएल में वृद्धि | जीडबल्यूएल में गिरावट | योग | जीडबल्यूएल में वृद्धि | जीडबल्यूएल में गिरावट | योग |
| **जम्मू डिवीजन जहां मानसून के बाद भू-जल स्तर बढ़ता है मानसून उपरांत (मई की तुलना में नवंबर)** | | | | | | | | | | | | |
| 0-2 मी | 121 | 08 | 129 | 136 | 30 | 166 | 107 | 71 | 178 | 136 | 30 | 166 |
| 2-4 मी | 37 | 02 | 39 | 22 | 01 | 23 | 16 | 04 | 20 | 38 | 04 | 42 |
| >4 मी | 29 | 00 | 29 | 13 | 01 | 14 | 8 | 04 | 12 | 15 | 00 | 15 |
| कुओं की कुल संख्या | **187** | **10** | **197** | **171** | **32** | **203** | **131** | **79** | **210** | **189** | **34** | **223** |
| वर्ष के दौरान कुल कुओं का प्रतिशत | 95 | 05 | एनए | 84 | 16 | एनए | 62 | 38 | एनए | 85 | 15 | एनए |
| **कश्मीर डिवीजन जहां भूजल स्तर सर्दियों के बाद बढ़ता है सर्दियों के बाद (नवंबर की तुलना में मई)** | | | | | | | | | | | | |
| 0-2 मी | 15 | 02 | 17 | 18 | 00 | 18 | 12 | 02 | 14 | 06 | 08 | 14 |
| 2-4 मी | 04 | 01 | 05 | 08 | 00 | 08 | 02 | 02 | 04 | 04 | 00 | 04 |
| >4 मी | 04 | 01 | 05 | 02 | 00 | 02 | 04 | 00 | 04 | 01 | 02 | 03 |
| कुओं की कुल संख्या | **23** | **04** | **27** | **28** | **00** | **28** | **18** | **04** | **22** | **11** | **10** | **21** |
| वर्ष के दौरान कुल कुओं का प्रतिशत | 85 | 15 | एनए | 100 | शून्य | एनए | 82 | 18 | एनए | 52 | 48 | एनए |

*(स्रोत: वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए सीजीडबल्यूबी द्वारा तैयार ग्राउंड वॉटर ईयर बुक)*

| 2013 से 2016 की अवधि के दौरान सामान्य से विचलन के साथ राज्य में मौसमी और वार्षिक वर्षा गिरावट (मिमी) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | शीतकाल | | मॉनसून-पूर्व | | मानसून | | मानसून-पश्चात | | वार्षिक | |
| | वर्षा (एमएम) | सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन | वर्षा (एमएम) | सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन | वर्षा (एमएम) | सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन | वर्षा (एमएम) | सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन | वर्षा (एमएम) | सामान्य वृद्धि(+)/ गिरावट(-) से प्रतिशत विचलन |
| 2013 | 257.1 | (+) 21 | 189.4 | (-) 42 | 651.9 | (+) 22 | 95.4 | (-) 28 | 1193.8 | (-) 1 |
| 2014 | 195.0 | (-) 8 | 395.0 | (+) 21 | 633.4 | (+) 18 | 55.0 | (-) 58 | 1278.4 | (+) 6 |
| 2015 | 215.1 | (+) 1 | 579.3 | (+) 78 | 613.9 | (+) 15 | 164.4 | (+) 25 | 1572.7 | (+) 30 |
| 2016 | 78.8 | (-) 63 | 331.8 | (+) 2 | 482.7 | (-) 10 | 9.4 | (-) 93 | 902.7 | (-) 25 |

*(स्रोत: हाइड्रोमेट डिवीजन, भारत मौसम विभाग द्वारा वर्षा के आंकड़ों पर रिपोर्ट)*

## परिशिष्ट-3.17.1

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.17; पृष्ठ: 184)**

**जुलाई 2016 के परे मुख्य अभियंता, पीएचई जम्मू के कार्यालय में स्टाफ का निरंतर संयोजन दर्शाता विवरण**

| क्रम सं. | नाम<br>सुश्री/ श्री | पदनाम | संयोजन की अवधि | | | जुलाई 2016 से परे संयोजन के पूर्ण महीनों की संख्या | अगस्त 2016 से मई 2016 के दौरान भुगतान किया गया वेतन (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | से | तक | पूर्ण महीनों की संख्या | | |
| 1. | रजिन्दर कुमार शर्मा | ईई | 19.05.2016 | 12.12.2017 | 18 | 16 | 16,41,884 |
| 2. | रवि कान्त शर्मा | ईई | 14.12.2016 | 31.07.2017 | 07 | 07 | 8,91,265 |
| 3. | राजेश कुमार गंडोट्रा | एईई | 01.02.2016 | 17.09.2016 | 07 | 01 | 87,569 |
| 4. | गुरनाम सिंह | एईई | 28.02.2015 | मई 2018 | 39 | 22 | 18,23,787 |
| 5. | विजय कुमार शर्मा | एईई | 25.04.2016 | 16.10.2017 | 17 | 14 | 12,36,527 |
| 6. | गोपाल कृष्ण गुप्ता | एईई | 12.07.2016 | मई 2018 | 22 | 22 | 1,50,23,808 |
| 7. | अनिल गुप्ता | एईई | 22.09.2016 | 16.09.2017 | 11 | 11 | 9,01,304 |
| 8. | सुनील शर्मा | एईई | 10.09.2016 | मई 2018 | 20 | 20 | 32,48,824 |
| 9. | अजित कुमार | एईई | 03.01.2017 | 27.11.2017 | 10 | 10 | 11,00,543 |
| 10. | सुनील सेठ | एईई | 19.05.2016 | 20.09.2017 | 15 | 13 | 9,64,557 |
| 11. | नरिंदर कुमार सपोलिया | एईई | 03.02.2017 | 21.04.2017 | 02 | 02 | 2,69,317 |
| 12. | करमवीर सिंह स्लाठिया | एई | 02.02.2016 | 30.09.2017 | 20 | 14 | 5,51,103 |
| 13. | विजय कुमार चौधरी | एई | 31.10.2017 | मई 2018 | 19 | 19 | 30,18,994 |
| 14. | सुभाष चंदर शर्मा | एई | 09.11.2016 | 31.11.2017 | 12 | 12 | 14,39,643 |
| 15. | हरि बूषण | एईई | 29.05.2012 | 30.06.2017 | 61 | 11 | 3,41,583 |
| 16. | सिसर खजूरिया | एईई | 29.03.2017 | मई 2018 | 14 | 14 | 12,19,692 |

| क्रम सं. | नाम<br>सुश्री/ श्री | पदनाम | संयोजन की अवधि | | | जुलाई 2016 से परे संयोजन के पूर्ण महीनों की संख्या | अगस्त 2016 से मई 2016 के दौरान भुगतान किया गया वेतन (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | से | तक | पूर्ण महीनों की संख्या | | |
| 17. | सगीर हुसैन मलिक | एईई | 29.06.2017 | मई 2018 | 11 | 11 | 16,79,758 |
| 18. | अनिल शर्मा | एईई | 22.04.2017 | 17.10.2017 | 05 | 05 | 5,11,693 |
| 19. | ब्रिज मोहन | एईई | 21.11.2017 | मई 2018 | 06 | 06 | 4,33,424 |
| 20. | राजिन्दर सिंह | एई | 08.08.2017 | 08.01.2018 | 04 | 04 | 4,55,380 |
| | योग | | | | | | **3,68,40,655** |

*(स्रोत: विभागीय अभिलेख)*

*(नोट:ईई: कार्यपालक अभियंता; एईई: सहायक कार्यपालक अभियंता; तथा एई: सहायक अभियंता)*

## परिशिष्ट-3.24.1

**(संदर्भ पैराग्राफ: 3.24; पृष्ठ: 196)**

**राजस्व विभाग में अधिक वेतन और भत्ते तथा की गई वसूलियां दिखाता कार्यालय-वार विवरण**

**(₹ राशि में)**

| क्रम सं | डीडीओ का नाम | कर्मचारियों की संख्या | अवधि | एनपीएस अंशदान सहित अधिक आहरित वेतन | वसूली गयी राशि | बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | क्षेत्रीय निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख, मारज अनंतनाग | 38 | जुलाई 2014 से दिसंबर 2017 | 12,82,272 | 12,82,272 | शून्य |
| 2. | क्षेत्रीय निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख, बारामूला | 70 | जुलाई 2014 से फरवरी 2018 | 24,92,840 | 18,22,184 (मार्च 2019 तक) | 6,70,656 |
| 3. | क्षेत्रीय निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख, श्रीनगर | 43 | जुलाई 2014 से मार्च 2018 | 15,70,059 | 10,32,000 (मार्च 2019 तक) | 5,38,059 |
| 4. | तहसीलदार कुलगाम | 23 | जुलाई 2014 से मार्च 2018 | 8,39,799 | 4,43,049 (जुलाई 2018 तक) | 3,96,750 |
| 5. | तहसीलदार अनंतनाग | 7 | जुलाई 2014 से दिसम्बर 2017 | 2,36,208 | 2,15,544 (अप्रैल 2019 तक) | 20,664 |
| | **योग** | **181** | | **64,21,178** | **47,95,049** | **16,26,129** |

*(स्रोत: वेतन तथा वेतन पंजिका)*